खंडों पर टिप्पण

आय-कर

खंड 2 - विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर, आय-कर, निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्गृहीत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस खंड में वे दरें भी दी गई हैं जिन पर वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान ऐसी आय से, स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी जो आय-कर अधिनियम के अनुसार ऐसी कटौती के अधीन है; और इसी में वे दरें भी दी गई हैं जिन पर वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए "अग्रिम कर" का संदाय किया जाएगा, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी या संदाय किया जाएगा और विशेष दशाओं में कर का परिकलन किया जाएगा और कर प्रभारित किया जाएगा ।

निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए आय-कर की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 1, आय-कर की वे दरें विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए कर के दायित्वाधीन है। ये वे दरें हैं, जो वित्त अधिनियम, 2001 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, विनिर्दिष्ट की गई थीं ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 2, वे दरें विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर, "वेतन" से भिन्न आय से, वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती की जाएगी । मोटे तौर पर ये वे दरें हैं जो वित्त अधिनियम, 2001 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की गई थीं । तथापि, विदेशी कंपनी के लिए विद्यमान अड़तालीस प्रतिशत आय-कर की कटौती की दर के स्थान पर चालीस प्रतिशत की आय-कर की कटौती की दर होगी। इसके अतिरिक्त देशी कंपनियों और अन्य निवासी व्यक्तियों की दशा में लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती की दर दस प्रतिशत होगी । इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम में ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए वे दरें, जिन पर "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जाएगी या संदाय किया जाएगा और वे दरें भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाएगा और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करता है।

इस भाग के पैरा क में, प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है जिसमें भाग 3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है, आय-कर की दरें, विनिर्दिष्ट की गई हैं । दर संरचना में कोई अन्य परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है ।

इस भाग के पैरा ख में, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं । ऐसी दशाओं में, कर की दरें, वे ही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

इस भाग के पैरा ग में, प्रत्येक फर्म की दशा में, आय-कर की दर विनिर्दिष्ट की गई है । ऐसी दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है ।

इस भाग के पैरा घ में, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर विनिर्दिष्ट की गई है । ऐसी दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है ।

इस भाग के पैरा ङ में, कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं। देशी कंपनियों की दशा में, कर की दर पैंतीस प्रतिशत बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए विनिर्दिष्ट है। तथापि, विदेशी कंपनियों की दशा में अड़तालीस प्रतिशत के बजाए चालीस प्रतिशत होगी ।

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम या व्यष्टि-निकाय है, जिसकी आय साठ हजार रुपए से अधिक है और जहां आय-कर की कटौती स्रोत पर की जानी है या "अग्रिम कर" इस भाग के उपबंधों के अनुसार संदेय है, वहां आय-कर की ऐसी रकम में अध्याय 8क के अधीन रिबेट अनुज्ञात करने के पश्चात्, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी की दशा में, जहां आय-कर की संगणना इस भाग के उपबंधों के अनुसार की जानी है वहां आय-कर की ऐसी रकम में ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

खंड 3 - परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक के खंड 13 द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 28 में एक नया खंड (vii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी कारबार के संबंध में कोई क्रियाकलाप न करने के लिए; या कोई व्यवहार-ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्ति, फ्रैंचाइज या इसी प्रकृति का कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार या ऐसी कोई जानकारी या तकनीक जो माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या सेवाओं की व्यवस्था करने में सहायता के लिए संभावित हो, भाग न पाने के लिए किसी करार के अधीन, चाहे नकद या वस्तु रूप में प्राप्त या प्राप्य कोई राशि "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी।

धारा 2 के खंड (24) में एक नया उपखंड (xii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उक्त प्राप्त या प्राप्य राशियां उक्त खंड में यथापरिभाषित आय की परिभाषा में सम्मिलित होंगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा के खंड (31) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, "व्यक्ति" पद के अंतर्गत कोई व्यष्टि, कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कोई कंपनी, कोई फर्म, व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, कोई स्थानीय प्राधिकारी और पूर्वोक्त किसी के अंतर्गत न आने वाला प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति आता है।

उक्त धारा के उक्त खंड (31) में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति, व्यक्ति समझा जाएगा, चाहे ऐसा व्यक्ति या निकाय या प्राधिकारी या विधिक व्यक्ति, आय, लाभ, अभिलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया या स्थापित या निगमित किया गया हो या न किया गया हो ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

यह भी प्रस्ताव है कि उक्त धारा के खंड (37क) का संशोधन किया जाए जिससे कि विधेयक के खंड 46 के द्वारा अंतःस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित नई धारा 15खखख का प्रतिनिर्देश उसमें सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 4 - आय जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क), उक्त धारा के खंड (3) का लोप करने के लिए है जिसमें ऐसी प्राप्तियों की, जो आकस्मिक और अनावर्ती प्रकृति की हैं, छूट का उपबंध किया गया है।

उपखंड (ख), खंड (4) के उपखंड (i) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार, 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् उस उपधारा में निर्दिष्ट प्रतिभूतियां या बंधपत्र विनिर्दिष्ट नहीं करेगी।

उपखंड (ग), खंड (4ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि 1 जून, 2002 के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा उस खंड के अधीन अधिसूचित बचत-पत्रों पर ब्याज की आय पर छूट उपलब्ध नहीं होगी ।

उपखंड (घ), खंड (5ख) का लोप करने के लिए है जिसमें उस खंड में निर्दिष्ट व्यष्टि की ओर से नियोजक द्वारा संदत्त कर के लिए छूट की बाबत उपबंध किया गया है।

उपखंड (ङ), खंड (6) के उपखंड (i) का लोप करने के लिए है जिसमें किसी ऐसे व्यष्टि द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, प्राप्त यात्रा-व्यय धन आदि की बाबत छूट का उपबंध किया गया है।

उपखंड (च), खंड (6क) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी विदेशी कंपनी के निमित्त सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदत्त कर, जिसे सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस के रूप में आय व्युत्पन्न होती है, 1 जून, 2002 के पश्चात् किए गए करारों की बाबत विदेशी कंपनी की कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा ।

उपखंड (छ), खंड (6ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी करार के अनुसरण में किसी अनिवासी या किसी विदेशी कंपनी के निमित्त सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदत्त कर, 1 जून, 2002 के पश्चात् किए गए करारों की बाबत अनिवासी या विदेशी कंपनी की कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा।

उपखंड (क) से उपखंड (छ) तक 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के लिए लागू होंगे।

खंड (10ग) में विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी अन्य कंपनी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी सहकारी सोसाइटी या किसी विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या अधिसूचित किसी प्रबंध संस्थान के किसी कर्मचारी द्वारा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों के अनुसार अपनी सेवा की समाप्ति के समय या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की दशा में स्वैच्छिक पृथक्करण की किसी स्कीम के अनुसार प्राप्त कोई रकम, उस मात्रा तक, जो पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर्मचारी की कुल आय की गणना करने में सम्मिलित नहीं की जाती है ।

उपखंड (ज), छूट को संपूर्ण भारत में या किसी राज्य या राज्यों में महत्व की किसी संस्था के, जिसे खंड (10ग) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी कर्मचारी तक विस्तारित करके इसकी परिधि को बढ़ाने के लिए है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के लिए लागू होगा।

आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (iv) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी बाध्यता की बाबत नियोजक द्वारा संदत्त कोई राशि, जो यदि ऐसा संदाय न किया जाता तो निर्धारिती द्वारा संदेय होती, परिलब्धियों में सम्मिलित की गई है।

उपखंड (झ), एक नया खंड (10गग) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो कोई ऐसी किसी परिलब्धि की प्रकृति की आय व्युत्पन्न कर रहा व्यष्टि है जिसके लिए उपबंध धारा 17 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत धनीय संदाय के रूप में नहीं किया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कर्मचारी की ओर से, नियोजक के विकल्प पर, उसके नियोजक द्वारा वास्तविक रूप से संदत्त ऐसी आय पर कर के लिए उपबंध किया जा सके जो कर से छूट प्राप्त होगा।

उपखंड (ञ), खंड (14क) का लोप करने के लिए है जिसमें किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त विनिमय जोखिम प्रीमियम की बाबत छूट का उपबंध किया गया है ।

उपखंड (ट), खंड (15) के उपखंड (iiख) और (iiघ) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् उस उपखण्ड में निर्दिष्ट पूंजी विनिधान बंधपत्र विनिर्दिष्ट नहीं करेगी।

खंड (20) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी स्थानीय प्राधिकारी की ऐसी आय, जो "गृह संपत्ति से आय", "पूंजी अभिलाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है या उसके द्वारा चलाए गए व्यापार या कारबार से होने वाली ऐसी आय, जो किसी वस्तु के प्रदाय या सेवा से (जो जल या विद्युत नहीं है) अपनी ही अधिकारिता वाले क्षेत्र के भीतर या अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र के भीतर या बाहर जल या विद्युत के प्रदाय से प्रोद्भूत या उद्भूत होती है, उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं की जाती है ।

उपखंड (ठ) उक्त खंड का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि छूट को संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) और अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) में निर्दिष्ट पंचायत और नगरपालिका, सरकार द्वारा किसी नगरपालिक या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध के लिए विधिक रूप से हकदार या न्यस्त किसी नगरपालिक समिति और जिला बोर्डों और छावनी अधिनियम, 1924 के धारा 3 के अधीन यथापरिभाषित छावनी बोर्ड के लिए निर्बन्धित किया जा सके।

उपखंड (ड), या तो निवास-स्थान की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए या शहरों, नगरों और ग्रामों के योजना कार्य, विकास या सुधार के प्रयोजन के लिए या दोनों के लिए अधिनियमित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित किसी प्राधिकरण की किसी आय की बाबत छूट का उपबंध करने के लिए खंड (20क) का लोप करने के लिए है।

उपखंड (ढ), खंड (21) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां वैज्ञानिक अनुसंधान संगम का केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है और तत्पश्चात् उस सरकार का यह समाधान हो जाता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान संगम ने अपनी आय का उक्त खंड के पहले परंतुक के खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उपयोग नहीं किया है या वैज्ञानिक अनुसंधान संगम ने अपनी निधियों का उक्त परंतुक के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनिधान या निक्षेप नहीं किया है या वैज्ञानिक अनुसंधान संगम के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या वैज्ञानिक अनुसंधान संगम के क्रियाकलाप उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसे संगम का अनुमोदन किया गया था, वहां वह संबंधित संगम को प्रस्तावित अनुमोदन वापस लेने के लिए हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा किसी समय अनुमोदन वापस ले सकेगी और अनुमोदन वापस लेने के आदेश की एक प्रति ऐसे संगम को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगी।

उपखंड (ण), खंड (22ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां समाचार एजेंसी को केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर दिया है और तत्पश्चात् उस सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समाचार एजेन्सी ने आय का उपयोग या संचय या वितरण उस खंड के पहले परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं किया है, वहां वह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी भी समय अधिसूचना को विखंडित कर सकेगी और अधिसूचना के विखंडन के आदेश की एक प्रति ऐसी एजेन्सी को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगी।

उपखंड (त), भारत में स्थापित किसी ऐसे संगम या संस्था, जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उस खंड के अधीन राजपत्र में अधिसूचित की जाए कि उसका उद्देश्य भारत में क्रिकेट, हाकी, फुटबाल, टेनिस के खेल या ऐसे अन्य खेलों या क्रीड़ाओं का, जो राजपत्र में अधिसूचित की जाएं, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन करना है, आय की बाबत छूट का उपबंध करने के लिए खंड (23) का लोप करने के लिए है।

उपखंड (थ), खंड (23क) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां भारत में स्थापित किसी संगम या संस्था का, जिसका उद्देश्य विधि, आयुर्विज्ञान, लेखाकर्म, इंजीनियरी या वास्तुविधा का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन करना है, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है और तत्पश्चात् उस सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसे संगम या संस्था ने अपनी आय का उपयोग या संचय उक्त खंड के परंतुक के उपखंड (i) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं किया है, या संगम या संस्था के क्रियाकलाप उन सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसे संगम या संस्था का अनुमोदन किया गया था, वहां वह संबंधित संगम या संस्था को प्रस्तावित अनुमोदन को वापस लेने के लिए हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा किसी समय अनुमोदन वापस ले सकेगी और अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति ऐसे संगम या संस्था को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगी।

उपखंड (द), खंड (23ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां संस्था का खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है और तत्पश्चात् उस आयोग का यह समाधान हो गया है कि संस्था ने अपनी आय का उपयोग या संचय उक्त खंड के पहले परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं किया है या संस्था के क्रियाकलाप उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसे संस्था का अनुमोदन किया गया था, वहां वह संबंधित संस्था को प्रस्तावित अनुमोदन को वापस लेने के लिए हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी समय अनुमोदन वापस ले सकेगा और अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति ऐसी संस्था को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

उपखंड (झ) से उपखंड (द) 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा के खंड (23ग) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की आय को उक्त उपखंडों के अधीन तब तक छूट प्राप्त नहीं है जब तक कि आय का उन उद्देश्यों के लिए पूर्णतया या अनन्यतः उपयोग नहीं किया जाता है या उपयोग के लिए संचय नहीं किया जाता, जिनके लिए निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना की गई है और किसी ऐसी दशा में, जहां पच्चीस प्रतिशत से अधिक आय का 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् संचय किया जाता

है वहां अपनी आय के पच्चीस प्रतिशत से अधिक की रकम के संचयन की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

उपखंड (ध)(i) आय के पच्चीस प्रतिशत तक के संचयन को असीमित अवधि के लिए अनुज्ञात करने वाले उपबंध का लोप करने और यह उपबंध करने के लिए है कि जहां आय का संचयन 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् किया जाता है वहां ऐसे संचयन की अवधि किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

धारा 10 के खंड (23ग) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (घ) के अर्थान्तर्गत निधि या संस्था द्वारा प्राप्त संदान की कोई रकम, जिसका गुजरात में भूकंप पीड़ितों को राहत देने से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग कर लिया गया है या जो उस धारा की उपधारा (5ग) के अर्थान्तर्गत अनुपयोजित रह जाती है और 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष निधि में अंतरित नहीं की जाती है तो उसे पूर्ववर्ष की आय समझा जाएगा और तदनुसार कर से प्रभारित होगी।

उपखंड (ध)(ii), खंड (23ग) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड के अधीन छूट उपलब्ध नहीं होगी यदि ऐसी कोई निधि या संस्था धारा 80छ की उपधारा (5ग) के खंड (v) के अधीन विहित प्राधिकारी को आय और व्यय के लेखे उस खंड में विहित रीति में और समय के भीतर नहीं देता है।

यह भी प्रस्तावित है कि धारा 80छ की उपधारा (5ग) के अर्थान्तर्गत निधियों का उपयोग करने और अनुपयोजित निधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में अंतरित करने की समय-सीमा को भूतलक्षी रूप से, 31 मार्च, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक बढ़ाया जाए।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 3 फरवरी, 2001 से प्रभावी होगा।

उपखंड (ध)(iii), उक्त धारा के खंड (23ग) के दसवें परंतुक का लोप करने के लिए है जिसमें यह उपबंधित है कि ऐसी कोई संस्था या न्यास, जिनकी कुल प्राप्तियां एक करोड़ रुपए से अधिक हैं या ऐसा कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था, जिसकी कुल प्राप्तियां एक करोड़ रुपए से अधिक हैं, किसी स्थानीय समाचारपत्र में अपने लेखा प्रकाशित करवाएगा और खंड (23ग) के पहले परंतुक के अधीन विहित आवेदन के साथ ऐसे समाचारपत्र की एक प्रति देगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए लागू होगा।

उपखंड (ध)(iv), उक्त धारा के खंड (23ग) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था प्राप्ति के वर्ष के दौरान अपनी आय का उपयोग नहीं करती है और उसे संचय करती है वहां ऐसे संचयन में से धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को या उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को किया गया कोई संदाय या जमा उन उद्देश्यों के लिए, आय का उपयोजन नहीं माना जाएगा, जिनके लिए, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना की गई है।

उपखंड (ध)(v), खंड (23ग) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां उस खंड के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी जाती है या जिसके उपखंड (vi) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था का विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है और तत्पश्चात् उस सरकार या विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था ने, अपनी आय का उस खंड के तीसरे परंतुक के खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उपयोग नहीं किया है या अपनी निधियों का तीसरे परंतुक के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनिधान या निक्षेप नहीं किया है या ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्थान के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसा संगम अधिसूचित या अनुमोदित किया गया था, वहां वह संबंधित निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को प्रस्तावित कार्यवाही के लिए हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी भी समय, यथास्थिति, अधिसूचना को विखंडित कर सकेगी या अनुमोदन को वापस ले सकेगी और अधिसूचना का विखंडन करने या अनुमोदन वापस लेने के आदेश की एक प्रति ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगी।

उपखंड (ध)(iv) 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उपखंड (न), उक्त धारा के खंड (23घ) में, "अध्याय 12ङ" के प्रति निर्देश का लोप करने के लिए है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

उपखंड (प), खंड (23ङ) का लोप करने के लिए है जिसमें किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा गठित विनिमय जोखिम प्रशासन निधि की आय की बाबत छूट का उपबंध किया गया है ।

उपखंड (न) और (प) 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उपखंड (फ), एक नया खंड (23ङख) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि 1 अप्रैल, 2002 से आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पांच पूर्ववर्षों की अवधि के संबंध में लघु उद्योग प्रत्यय प्रत्याभूति निधि न्यास, जो भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा सृजित एक न्यास है, की किसी आय को छूट प्रदान की जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (ब), खंड (23चक) में, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप करने के लिए है। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

उपखंड (भ), खंड (23छ) में, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप करने के लिए है। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

उपखंड (म) वस्तुओं के विपणन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी प्राधिकारी की आय की बाबत, जहां ऐसी आय वस्तुओं के भंडारकरण, प्रसंस्करण या उनके विपणन को सुकर बनाने के लिए गोदामों या भंडारों को किराए पर दिए जाने से व्युत्पन्न हो, छूट का उपबंध करने के लिए खंड (29) का लोप करने के लिए है। यह खंड (33) का लोप करने के लिए भी है जिसमें लाभांश और आय के रूप में आय की बाबत, भारतीय यूनिट ट्रस्ट से यूनिटों की बाबत प्राप्त आय और किसी पारस्परिक निधि के यूनिटों की बाबत प्राप्त आय की बाबत छूट के लिए उपबंध किया गया है।

उपखंड (ब), उपखंड (भ) और उपखंड (म) 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 5 - मुक्त व्यापार क्षेत्र, आदि में स्थापित नए उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे लाभों और अभिलाभों की कटौती, जो किसी उपक्रम द्वारा उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसा उपक्रम, यथास्थिति, ऐसी वस्तुओं, चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के दौरान उन वस्तुओं, चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न होती है, निर्धारिती की कुल आय में से अनुज्ञात है । वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ ऐसी रकम है जिसका कारबार के लाभों से वही अनुपात है जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर की बाबत निर्यात आवर्त का निर्धारिती द्वारा किए गए, कारबार के कुल आवर्त से है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए कटौती ऐसे लाभों और अभिलाभों के नब्बे प्रतिशत तक सीमित होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 6 - नव स्थापित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंधों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10ख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे लाभों और अभिलाभों की कटौती, जो किसी निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा उस पूर्ववर्ष से जिसमें ऐसा उपक्रम, यथास्थिति, वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाली दस क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के दौरान, यथास्थिति, उन वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न हैं, निर्धारिती की कुल आय में से अनुज्ञात किया जाता है । वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ वह रकम है जिसका कारबार के लाभ से वही

अनुपात है जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर की बाबत निर्यात आवर्त का निर्धारिती द्वारा किए गए, कारबार के कुल आवर्त से है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए कटौती ऐसे लाभों और अभिलाभों के नब्बे प्रतिशत तक सीमित की जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण केवल वर्ष 2002-2003 के संबंध में लागू होगा ।

खंड 7 - पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के विद्यमान उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध भी है कि किसी न्यास की आय के पच्चीस प्रतिशत तक की रकम को अनिश्चित अवधि के लिए और बिना किसी शर्त के संचित किया जा सकता है।

उपखंड (क)(i) यह उपबंध करने के लिए है कि न्यास के अधीन धारित संपत्ति से आय का पच्चीस प्रतिशत, जिसका पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है किंतु ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए संचित या अलग रखा जाता है, धारा 11 की उपधारा (2) में अधिकथित शर्तों के अधीन संचित किया जा सकता है।

उपखंड (क)(ii) यह उपबंध करने के लिए है कि न्यास के अधीन धारित संपत्ति से आय का पच्चीस प्रतिशत, जिसका पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है किंतु ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए अनंतिम रूप से अलग रखा जाता है, धारा 11 की उपधारा (2) में अधिकथित शर्तों के अधीन संचित किया जा सकता है।

उपखंड (क)(iii) उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

उपखंड (ख) उक्त धारा की उपधारा (1ख) के स्थान पर एक नई उपधारा रखने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी आय का, जिसकी बाबत उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें आय प्राप्त हुई थी या उस पूर्ववर्ष के ठीक पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है वहां ऐसी आय को उसके प्राप्तिकर्ता व्यक्ति की उस वर्ष के ठीक पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष की आय समझा जाएगा, जिसमें आय प्राप्त की गई थी ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के साथ पठित उक्त उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय का पच्चीस प्रतिशत पूर्ववर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया गया है या उपयोग किया गया नहीं समझा जाता है किंतु भारत में ऐसे प्रयोजनों के संबंध में उपयोग के लिए संपूर्ण रूप से या भागरूप में संचित या अलग रखा जाता है वहां इस प्रकार संचित या अलग रखी गई आय उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अधीन, आय के प्राप्तिकर्ता व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती है ।

उपखंड (ग) (i) उक्त उपधारा (2) में, "का पचहत्तर प्रतिशत" शब्दों का लोप करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न संपूर्ण आय का पूर्ववर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है या उपयोग किया गया नहीं समझा जाता है किंतु उसे संचित या अलग रखा जाता है तो इस प्रकार संचित या अलग रखी गई आय को उस उपधारा में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने के अधीन रहते हुए आय के प्राप्तिकर्ता व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उपखंड (ग)(ii) उक्त धारा की उपधारा (2) के नीचे एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के साथ पठित उसके खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय में से धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी नीति या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को जमा या संदत्त की गई कोई रकम, जिसका उपयोग नहीं किया गया है किंतु जिसे संचित या अलग रखा गया है, संचयन की अवधि के दौरान या उसके पश्चात् पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का उपयोजन नहीं समझा जाएगा।

अतः प्राप्ति वर्ष में न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति की आय में से अन्य न्यासों या संस्थाओं को स्दाय आय के उपयोजन के रूप में माना जाता रहेगा। तथापि, संचित आय में से ऐसा कोई संदाय आय के उपयोजन के रूप में नहीं माना जाएगा और तदनुसार कर से भारित होगा।

खंड (घ)(i) धारा 11 की उपधारा (3) में एक नया खंड अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी आय का धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को संदत्त या उसके खाते में जमा की जाती है, न्यास के अधीन धारित संपत्ति से आय के रूप में प्राप्तिकर्ता व्यक्ति की आय समझी जाएगी ।

खंड (घ) (ii) "अलग रखी गई या इस प्रकार विनिहित या निक्षिप्त रह गई आय" शब्दों के पश्चात् "संदत्त या जमा की गई या" शब्द अंतःस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

उपखंड (ङ) उपधारा (3क) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किए गए संदाय या जमा के रूप में आय का उपयोग अनुज्ञात नहीं करेगा। प्रस्तावित संशोधन, न्यास को संचित आय का उपयोग अन्य पूर्त या धार्मिक न्यास और संस्था के खाते में संदाय या जमा के लिए अनुज्ञात करने के लिए उपधारा (3क) में निर्धारण अधिकारी के विवेकाधिकार को समाप्त करने के लिए है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 8 - अभिदायों से होने वाली न्यासों या संस्थाओं की आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंधों के अधीन धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (घ) के निबंधनों के अनुसार न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त की गई संदान की कोई रकम, जिसका उपयोग गुजरात में भूकंप पीड़ितों को सहायता प्रदान करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया है या जो उस धारा की उपधारा (5ग) के अनुसार अनुपयोजित रह जाती है और 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में अंतरित नहीं की जाती है, पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी और तदनुसार, कर से प्रभारित होगी ।

उपखंड (क) उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन छूट तब उपलब्ध नहीं होगी जब ऐसा कोई न्यास या संस्था धारा 80छ की उपधारा (5ग) के खंड (v) के अधीन उस खंड में विहित रीति में, और समय के भीतर विहित प्राधिकारी को आय और व्यय के लेखे नहीं देता है।

उपखंड (ख) उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि धारा 80छ की उपधारा (5ग) के अनुसार निधियों के उपयोजन के लिए और अनुपयोजित निधियों के अंतरण के लिए समय-सीमा को 31 मार्च, 2002 की बजाय 31 मार्च, 2003 तक बढ़ाया जा सके।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 3 फरवरी, 2001 से प्रभावी होंगे।

खंड 9 - न्यासों के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों, आदि से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 12क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में के खंड (ग) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी न्यास या संस्था की आय के संबंध में धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट ऐसे किसी न्यास या संस्था को लागू नहीं होती है जिसकी कुल आय (धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना) एक करोड़ रुपए से अधिक है जब तक कि ऐसा न्यास या संस्था आय की विवरणी देने के लिए नियत तारीख से पूर्व स्थानीय समाचारपत्र में अपना लेखा प्रकाशित नहीं करती है और आय की विवरणी के साथ ऐसे समाचारपत्र की प्रति नहीं देती है ।

प्रस्तावित संशोधन समाचारपत्र में लेखा प्रकाशित करने और आय की विवरणी के साथ ऐसे समाचारपत्र की एक प्रति की अपेक्षा से अभिमुक्त करने वाली धारा 12क के उक्त खंड (ग) का लोप करने के लिए है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 10 - कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य आय के संबंध में उपगत व्यय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 14क का संशोधन करने के लिए है ।

यह स्पष्ट करने के लिए कि इस धारा के उपबंध निर्धारण अधिकारी को, 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए, धारा 147 के अधीन मामलों का पुनःनिर्धारण करने या धारा 154 के अधीन पहले से किए गए निर्धारण में अभिवृद्धि करने का या प्रतिदाय में कमी करने का या निर्धारिती के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करने का आदेश करने के लिए सशक्त नहीं करेंगे, उक्त धारा में परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 11 मई, 2001 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

खंड 11 - "वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन के बदले लाभ" की परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के खंड (2) में विद्यमान उपबंध किसी कर्मचारी को उसके नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई किराया मुक्त वास-सुविधा का मूल्य, ऐसी वास-सुविधा के किराए के विषय में रियायत का मूल्य, कतिपय परिस्थितियों में नियोजक द्वारा निःशुल्क दिया या उपलब्ध कराया गया कोई फायदा या सुख-सुविधा का मूल्य, कर्मचारी द्वारा संदेय किसी बाध्यता की बाबत नियोजक द्वारा संदत्त कोई राशि, कर्मचारी के जीवन पर किसी बीमा को प्रभावी करने या किसी वार्षिकी की संविदा को प्रभावी करने के लिए संदेय कोई राशि और कोई अन्य सीमांत फायदा या सुख-सुविधा, जो विहित की जाए सम्मिलित करने के लिए "परिलब्धि" को परिभाषित करते हैं।

उक्त खंड में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि 1 अप्रैल, 2002 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में, जिसकी आय, उस वर्ष के लिए "वेतन" शीर्ष के अधीन, ऐसी सभी परिलब्धियों को अपवर्जित करके, जिनके लिए धनीय संदायों के रूप में कोई उपबंध नहीं किया गया है, एक लाख रुपए से अधिक नहीं है, उक्त खंड के अधीन किसी परिलब्धि की संगणना नहीं की जाएगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार केवल निर्धारण वर्ष 2002-2003 में लागू होगा ।

खंड 12 - गृह संपत्ति से आय में से कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 24 का संशोधन करने के लिए है।

धारा 24 के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करते समय, संपत्ति के अर्जन या सन्निर्माण के लिए, जहां ऐसा अर्जन या सन्निर्माण, 1 अप्रैल, 2003 से पहले पूरा हो जाता है, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के रूप में संदेय एक लाख पचास हजार रुपए तक की रकम की कटौती का भी उपबंध है ।

उपखंड (क) में उक्त धारा के दूसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसी संपत्ति 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् उधार ली गई पूंजी से अर्जित या सन्निर्मित की जाती है वहां ब्याज के लिए एक लाख पचास हजार रुपए तक की कटौती अनुज्ञात की जाएगी, यदि ऐसा अर्जन या सन्निर्माण उस वित्तीय वर्ष के जिसमें पूंजी उधार ली गई थी, अंत से तीन वर्ष के भीतर पूरा हो जाता है ।

उपखंड (ख) में तीसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि दूसरे परंतुक के अधीन कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती ऐसे व्यक्ति से, जिसे उधार दी गई पूंजी पर कोई ब्याज संदेय है, संपत्ति के अर्जन या सन्निर्माण के प्रयोजन के लिए निर्धारिती द्वारा उधार ली गई ऐसी पूंजी पर या उस प्रयोजन के लिए ऐसे उधार ली गई संपूर्ण पूंजी या उसके किसी भाग के संपरिवर्तन के संबंध में, जो नए ऋण के रूप में प्रतिसंदत्त किए जाने के लिए शेष रहता है, संदेय ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, एक प्रमाणपत्र नहीं दे देता है ।

तीसरे परंतुक में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जो "नए ऋण" को परिभाषित करता है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 13 - कारबार या वृत्ति की लाभ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध आय के ऐसे प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करता है जो "कारबार या वृत्ति के लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य हैं ।

पूर्वोक्त धारा में एक नया खंड (vii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी कारबार के संबंध में कोई क्रियाकलाप न करने के लिए; या कोई व्यवहार-ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्ति, फ्रेंचाइज या इसी प्रकृति का कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार या ऐसी कोई जानकारी या तकनीक जो माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या सेवाओं की व्यवस्था करने में सहायता के लिए संभावित हो, भाग न पाने के लिए किसी करार के अधीन प्राप्त या प्राप्य कोई राशि, चाहे नकद में या वस्तु रूप में, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 14 - अवक्षयण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन निर्धारिती के पूर्णतः या भागतः स्वामित्व के अधीन और कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त आस्तियों के किसी समूह की दशा में कटौती, उसके अवलिखित मूल्य पर ऐसे प्रतिशत पर अनुज्ञात की जाती है, जो विहित की जाती है ।

उपखंड (क) की मद (अ), उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में एक नया खंड (iiक) अंतःस्थापित करने के लिए है और उपधारा (1) की मद (आ) पांचवें परंतुक के नीचे स्पष्टीकरण 2 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "इस खंड के प्रयोजनों के लिए" शब्दों के स्थान पर "इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए" शब्द रखे जा सकें। ये संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

उपखंड (ख), उक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया उपखंड (iiक) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) की दशा में, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगे हुए निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2002 के पश्चात् अर्जित या संस्थापित किया गया है, ऐसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर की और राशि खंड (ii) के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात होगी । ऐसे पन्द्रह प्रतिशत की और कटौती किसी नए उपक्रम को, उस पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय होगी जिसमें ऐसा उपक्रम 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है; या 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व विद्यमान किसी औद्योगिक उपक्रम को उस पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय होगा जिसमें वह पच्चीस प्रतिशत से अन्यून संस्थापित क्षमता में वृद्धि के रूप में सारवान् विस्तार प्राप्त करता है ।

तथापि, ऐसी किसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी जो निर्धारिती द्वारा उसके संस्थापन से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत में या भारत से बाहर प्रयुक्त किया गया था या ऐसी मशीनरी या संयंत्र किसी कार्यालय परिसर या किसी निवास-स्थान, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति का निवास-स्थान भी है, में संस्थापित किया गया था या किसी कार्यालय साधित्र या सड़क परिवहन यान या किसी अन्य मशीनरी या संयंत्र को अनुज्ञेय नहीं होगी जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत या उसके भाग को किसी एक पूर्ववर्ष के "कारबार और वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) अनुज्ञात किया गया है । यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि पहले परंतुक के, यथास्थिति, खंड (अ) या खंड (आ) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित आय की विवरणी और लेखाकार की रिपोर्ट के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मशीनरी या संयंत्र और उत्पादन की संस्थापित क्षमता में वृद्धि के ब्यौरे यह प्रमाणित करते हुए नहीं दे देता है कि कटौती का इस खंड के उपबंधों के अनुसार सही दावा किया गया है ।

यह भी प्रस्ताव है कि "नए औद्योगिक उपक्रम" और "संस्थापित क्षमता" पदों को प्रस्तावित खंड (iiक) के प्रयोजनों के लिए परिभाषित किया जाए ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 15 - पोत परिवहन कारबार के लिए आरक्षितियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 33कग का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी सरकारी कंपनी या पब्लिक कंपनी को, जो पोतों के प्रचालन का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत है, पोतों के प्रचालन के कारबार से व्युत्पन्न लाभों के सौ प्रतिशत से अनधिक रकम की कटौती, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात है । उक्त उपधारा के पहले परंतुक में यह उपबंध है कि जहां ऐसे आरक्षित खाते में समय-समय पर अग्रनीत रकमों का योग (आरक्षितियों से पूंजीकृत रकमों को छोड़कर) निर्धारिती की समादत्त शेयर पूंजी की रकम के दुगुने से अधिक हो जाता है, वहां ऐसे आधिक्य की बाबत कोई मोक नहीं दी जाएगी ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा के पूर्वोक्त परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसे आरक्षित खाते में समय-समय पर अग्रनीत रकमों का योग समादत्त शेयर पूंजी, साधारण आरक्षितियों की रकमों और निर्धारिती के शेयर प्रीमियम खाते में जमा रकम के योग के दुगुने से अधिक हो जाता है वहां ऐसे आधिक्य की बाबत उस उपधारा के अधीन कोई मोक नहीं दी जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 16 - पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 35कग का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, राष्ट्रीय समिति द्वारा किसी पात्र परियोजना या स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी संगम या संस्था को, संदत्त कोई राशि, पूर्ववर्ष के दौरान कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है ।

एक नई उपधारा (6) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी संगम या संस्था को अनुदत्त अनुमोदन उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन वापस ले लिया जाता है या उपधारा (5) के अधीन पात्र परियोजना या स्कीम के लिए अधिसूचना वापस ले ली जाती है या जहां किसी कंपनी ने पात्र परियोजना या स्कीम पर प्रत्यक्ष रूप से उपगत किसी व्यय की बाबत उपधारा (1) के परंतुक के अधीन कटौती का दावा किया है और उपधारा (5) के अधीन राष्ट्रीय समिति द्वारा ऐसी परियोजना या स्कीम के लिए अनुमोदन वापस ले लिया जाता है, वहां, यथास्थिति, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था द्वारा प्राप्त संदाय की कुल रकम, जिसकी बाबत ऐसी कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था ने उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है या उपधारा (1) के परंतुक के अधीन किसी कंपनी द्वारा कटौती का दावा किया गया है, उस पूर्ववर्ष के लिए, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था की आय समझा जाएगा, जिसमें ऐसा अनुमोदन या अधिसूचना वापस ली जाती है, और ऐसी आय पर उस वर्ष के लिए प्रवृत्त अधिकतम मार्जिन दर पर कर प्रभारित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 17 - प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रम को चलाने के लिए संगमों या संस्थाओं को संदाय के रूप में व्यय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 35गगख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे संगम या संस्था को, जो विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो और जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है, विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उपयोग करने के लिए और वनरोपण के लिए ऐसी किसी निधि में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, संदत्त कोई राशि कटौती के रूप में अनुज्ञात है ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि पूर्वोक्त उपधारा के अधीन कटौती तब अनुज्ञात की जाएगी जब ऐसी राशि का संदाय 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व किया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 18 - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन उपगत व्यय के अपाकरण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 35घघक का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां किसी निर्धारिती को, किसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन किसी कर्मचारी को उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय किसी राशि के संदाय के द्वारा किसी पूर्ववर्ष में कोई व्यय उपगत होता है, वहां इस प्रकार संदत्त रकम के एक बटा पांच की उस पूर्ववर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाभों को संगणित करने में कटौती की जाएगी और बकाया की, ठीक क्रमवर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर किस्तों में कटौती की जाएगी ।

उपधारा (2) के स्थान पर नई उपधारा (2) से उपधारा (6) तक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी भारतीय कंपनी का उपक्रम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति व्यय के अपाकरण के लिए कटौती के लिए हकदार है, उक्त धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान से पूर्व किसी समामेलन या निर्विलयन की स्कीम में अन्य भारतीय कंपनी को अंतरित हो जाता है, वहां यह कटौती समामेलित कंपनी या परिणामी कंपनी को ऐसे जारी रहेगी यदि परिणामी कंपनी का समामेलन न हुआ होता। कतिपय प्रकार के कारबार के पुनर्गठन की दशा में वैसे ही उपबंधों का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है, जिसके द्वारा फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान की उत्तराधिकारी कोई कंपनी हो जाती है । कोई कटौती, समामेलन या निर्विलयन कंपनी, या फर्म या सांपत्तिक समुत्थान को उस वर्ष में अनुज्ञात नही होगी जिसमें उपक्रम अंतरित होता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 19 - अन्य कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के खंड (क) में विद्यमान उपबंधों के अधीन, भारत से बाहर निगमित किसी अनुसूचित बैंक या किसी अनुसूचित बैंक डूबंत और शंकास्पद ऋण के संबंध में, उक्त खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व सकल कुल आय पर पांच प्रतिशत तक कटौती का हकदार होगा। उक्त उपखंड के परंतुक के अधीन ऐसे बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शंकास्पद आस्तियों या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत आस्तियों के लिए किसी उपबंध के संबंध में कटौती का दावा करने का विकल्प होगा । कटौती की रकम, पूर्ववर्ष के अंतिम दिन ऐसे बैंक खातों में दर्शित शंकास्पद आस्तियां या हानि आस्तियों की रकम के पांच प्रतिशत तक सीमित होगी । यह कटौती 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व समाप्त होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध है।

कटौती की सीमा को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर सकल कुल आय का साढ़े सात प्रतिशत तक (उक्त खंड के अधीन कटौती करने से पूर्व) करने का प्रस्ताव है। यह और प्रस्ताव है कि शेष दो निर्धारण वर्षों अर्थात् 2003-2004 और 2004-2005 के लिए शंकास्पद और हानि आस्तियों की वैकल्पिक कटौती की उक्त सीमा को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया जाए।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (viiक) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई लोक वित्तीय संस्था, कोई राज्य वित्तीय निगम और कोई राज्य औद्योगिक विनिधान निगम, लाभों में से डूबंत और शंकास्पद ऋण के लिए किए गए उपबंध के संबंध में कुल आय की संगणना करने में कटौती का हकदार है । अधिकतम रकम, इस खंड और अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन डूबंत और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध के संबंध में कोई कटौती करने से पूर्व उसकी कुल आय के पांच प्रतिशत तक कटौती के रूप में अनुज्ञात होगी ।

उक्त खंड (viiक) के उपखंड (ग) में एक नया उपबंध अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि किसी लोक वित्तीय संस्था, किसी राज्य वित्तीय निगम और किसी राज्य औद्योगिक विनिधान निगम को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उसके द्वारा शंकास्पद आस्तियों या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत आस्तियों के किसी उपबंध के संबंध में किसी कटौती का दावा करने के विकल्प का उपबंध किया जा सके । कटौती की राशि पूर्ववर्ष के अंतिम दिन ऐसी संस्था या निगम के खातों में दर्शित शंकास्पद आस्तियों या हानि आस्तियों की राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और ऐसी कटौती 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व समाप्त होने वाले दो क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध होगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 20 - कटौती न करने योग्य रकमों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 40 का संशोधन करने के लिए है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 40 में, ऐसी रकमें विनिर्दिष्ट हैं, जिनकी "कारबार या वृत्ति के लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती नहीं की जाएगी ।

विधेयक के खंड 4 के उपखंड (i) में आय-कर अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड (10गग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी कर्मचारी की दशा में, जो व्यष्टि है, परिलब्धि के रूप में आय प्राप्त कर रहा है, जिसके लिए धारा 17 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत धनीय संदाय के रूप में उपबंध नहीं किया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कर्मचारी की ओर से उसके नियोजक द्वारा अपने विकल्प पर वास्तव में संदत्त ऐसी आय के संबंध में कर को आय-कर से छूट प्राप्त होगी ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा के खंड (क) में एक नया उपखंड (v) अंतःस्थापित किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (10गग) में निर्दिष्ट नियोजक द्वारा वास्तव में संदत्त कर की "कारबार या वृत्ति के लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा 40 के खंड (ख) के विद्यमान उपबंध कतिपय ऐसे व्यय से संबंधित हैं जो कटौतियों के लिए अनुज्ञात नहीं हैं या जो केवल कतिपय धनीय सीमा के अधीन रहते हुए अनुज्ञात हैं । धारा 40 के खंड (ख) के उपखंड (iv) में यह उपबंध है कि किसी फर्म की दशा में, फर्म द्वारा अपने किसी भागीदार को संदत्त ब्याज वहां कटौती के रूप में ब्याज की दर अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की सीमा तक अनुज्ञेय होगा।

प्रस्तावित संशोधन फर्म द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अपने भागीदारों को संदेय ब्याज की अधिकतम दर को अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम करके बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष करने के लिए है ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 21 - करेंसी की विनिमय की दर में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप विशेष उपबंधों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 43क के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

धारा 43क के विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां किसी निर्धारिती ने अपने कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर किसी देश से किसी पूंजीगत आस्ति रुपए के अवमूल्यन की तारीख से पहले आस्थगित संदाय के निबंधनों पर किसी विदेशी ऋण से अर्जित की है, वहां अवमूल्यन की तारीख के पश्चात् संदाय के लिए देय होने वाले, यथास्थिति, आस्ति की लागत के या विदेशी ऋण की किस्तों को चुकाने में उसके द्वारा उपगत अतिरिक्त रुपयों का दायित्व, लाभों की संगणना करने में अवक्षयण लेखे में मोक का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए आस्ति की मूल लागत में जोड़े जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

निर्धारिती द्वारा, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त अर्जित पूंजीगत आस्ति या विदेश से अर्जित पेटेंट अधिकार या प्रतिलिप्यधिकार या अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन का संवर्धन करने के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा अर्जित किसी पूंजीगत आस्ति की बाबत मूल वास्तविक कीमत में उसी प्रकार वृद्धि की जाने के लिए अनुज्ञात की जाती है । इसके अतिरिक्त उसके द्वारा आस्थगित संदाय निबंधनों पर या किसी विदेशी ऋण से अर्जित किसी पूंजीगत आस्ति के विक्रय या अंतरण पर निर्धारिती को उद्भूत होने वाले पूंजी अभिलाभों की संगणना करने में रुपए के अवमूल्यन की तारीख के पश्चात् उसके द्वारा, यथास्थिति, लागत या विदेशी ऋण की किस्तों के प्रतिसंदाय में उपगत अतिरिक्त रुपए दायित्व आस्ति की मूल वास्तविक लागत में जोड़ा जाता है । धारा में यह भी उपबंध किया गया है कि जहां रुपए के विनिमय मूल्य में किसी परिवर्तन के कारण निर्धारिती द्वारा विदेश से अर्जित आस्तियों की बाबत उसके रुपए दायित्व में कमी होती है वहां आस्ति की मूल वास्तविक कीमत तद्नुसार कम कर दी जाएगी ।

उक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां पूंजीगत आस्ति भारत के बाहर किसी देश से अर्जित की गई है, वहां पूर्ववर्ष में विनिमय दर में परिवर्तन के कारण आस्ति की वास्तविक लागत में वृद्धि या उसमें कमी, निर्धारिती द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति को ध्यान में लिए बिना, निर्धारिती द्वारा आस्ति की लागत या ऋण या ब्याज के प्रतिसंदाय के मद्दे केवल वास्तविक संदाय पर ही अनुज्ञात की जाएगी ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 22 - माल वाहन चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44कङ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसके स्वामित्व में दस से अधिक माल वाहन नहीं हैं और जो ऐसे माल वाहनों को चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार में लगा हुआ है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार की आय, पूर्ववर्ष में उसके स्वामित्व में के सभी माल वाहनों से, लाभों और अभिलाभों का योग समझी जाती है । पूर्वोक्त उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि भारी माल यान की दशा में, ऐसे प्रत्येक माल वाहक से लाभ और अभिलाभ प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए, जिसके दौरान यान निर्धारिती के स्वामित्वाधीन हों, दो हजार रुपए के बराबर रकम और माल यान से भिन्न यान की दशा में एक हजार आठ सौ रुपए होगी ।

उपखंड (क) भारी माल यान के लिए माल वाहनों को चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार की बाबत लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए दर, ऐसे प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए, जिसके दौरान यान निर्धारिती के स्वामित्व में रहता है, दो हजार रुपए से बढ़ाकर तीन हजार पांच सौ रुपए प्रति यान करने के लिए है।

उपखंड (ख) भारी माल यान से भिन्न माल वाहनों को चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार की बाबत लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए दर, ऐसे प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए, जिसके दौरान यान निर्धारिती के स्वामित्व में रहता है, एक हजार आठ सौ रुपए से बढ़ाकर तीन हजार एक सौ पचास रुपए प्रति यान करने के लिए है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 23 - अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहारों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (xv) में विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी करार या ठहराव के अधीन, जो निर्धारिती ने ऐसी प्रतिभूतियों के उधार लेने वाले के साथ किया है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन है, किन्हीं प्रतिभूतियों के उधार देने के लिए स्कीम में कोई अंतरण, पूंजी अभिलाभों को कर से प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए अंतरण नहीं समझा जाएगा ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड का संशोधन किया जाए जिससे कि पूंजी अभिलाभ कर से छूट के फायदे को, किसी करार या ठहराव के अधीन, जो निर्धारिती ने ऐसी प्रतिभूतियों के उधार लेने वाले के साथ किया है और जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन है, किन्हीं प्रतिभूतियों के उधार देने के लिए स्कीम में किसी अंतरण के लिए विस्तारित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 24 - कतिपय दशाओं में प्रतिफल के पूरे मूल्य के लिए विशेष उपबंध करने से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 50ग अंतःस्थापित करने के लिए है ।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां निर्धारिती द्वारा, किसी पूंजीगत आस्ति के, जो भूमि या भवन, या दोनों हैं, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल ऐसे अंतरण की बाबत स्टाम्प शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित मूल्य से कम है तो इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित मूल्य ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा ।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी निर्धारण अधिकारी के समक्ष निर्धारिती यह दावा करता है कि उपधारा (1) के अधीन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित मूल्य अंतरण की तारीख को संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से अधिक है और उपधारा (1) के अधीन प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित मूल्य किसी अपील या पुनरीक्षण में विवादित नहीं किया गया है या किसी अन्य प्राधिकारी, न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष कोई निर्देश नहीं किया गया है, वहां निर्धारण अधिकारी, पूंजीगत आस्ति के मूल्यांकन को किसी मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और जहां ऐसा कोई निर्देश किया जाता है वहां धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 16क की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6), धारा 23क की उपधारा (1) के खंड (i) और उपधारा (6) और उपधारा (7), धारा 24 की उपधारा (5), धारा 34कक, धारा 35 और धारा 37 के उपबंध, आवश्यक उपांतरणों सहित ऐसे निर्देश के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उक्त अधिनियम की धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए किसी निर्देश के संबंध में लागू होते हैं। मूल्यांकन अधिकारी वह मूल्यांकन अधिकारी होगा जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खंड (द) में परिभाषित है ।

प्रस्तावित उपधारा (3) में उपबंध किया गया है कि जहां उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित मूल्य उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित मूल्य से अधिक है वहां ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित मूल्य अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूरा मूल्य माना जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 25 - आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग का संशोधन करने के लिए है जिसमें यह उपबंध है कि कतिपय बंधपत्रों में विनिधान पर पूंजी अभिलाभ प्रभारित नहीं होगा ।

धारा 54ङग में विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाला कोई पूंजी अभिलाभ कर से तब छूट प्राप्त है जब ऐसे पूंजी अभिलाभ का विनिधान ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों में किया गया है जो ऐसा कोई बंधपत्र है जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त धारा के अधीन छूट के फायदे का विस्तार उन बंधपत्रों तक किया जा सके जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय हैं और जो राष्ट्रीय आवास बैंक या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् जारी किए गए हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 26 - आय के एक ही शीर्ष के अधीन एक स्रोत से होने वाली हानि का दूसरे स्रोत से होने वाली आय के प्रति मुजरा किए जाने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 70 के स्थान पर नई धारा रखने के लिए है ।

उक्त धारा में विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां आय के किसी शीर्ष के अधीन आने वाले किसी स्रोत की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम परिणाम हानि है वहां निर्धारिती इसका हकदार होगा कि वह ऐसी हानि का मुजरा उसी शीर्ष के अधीन किसी अन्य स्रोत से होने वाली अपनी आय के प्रति करा ले ।

उक्त धारा के स्थान पर एक नई धारा रखने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां, "पूंजी अभिलाभ" से भिन्न आय के किसी शीर्ष के अधीन आने

वाले किसी स्रोत की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम परिणाम हानि है वहां निर्धारिती इसका हकदार होगा कि वह ऐसी हानि की रकम का मुजरा उसी शीर्ष के अधीन किसी अन्य स्रोत से होने वाली अपनी आय के प्रति करा ले और जहां किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति की बाबत अंतिम परिणाम हानि है वहां ऐसी हानि का मुजरा ऐसी आय के प्रति, यदि कोई हो, किसी अन्य पूंजी आस्ति की बाबत "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन उस निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और जहां किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति से भिन्न किसी पूंजी आस्ति की बाबत अंतिम परिणाम हानि है वहां ऐसी हानि का मुजरा ऐसी आय के प्रति, यदि कोई हो, किसी अन्य पूंजी आस्ति की बाबत, जो कोई अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है, उस निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 27 - आय-कर अधिनियम की धारा 72क का संशोधन करने के लिए है जो समामेलन या निर्विलयन आदि में संचयित हानि और शेष अवक्षयण को अग्रनीत मोक या मुजरा के संबंध में संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, संचयित हानियों और शेष अवक्षयण का अग्रनयन किसी औद्योगिक उपक्रम या किसी पोत की स्वामी कंपनी का किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन के मामलों में अनुज्ञात है । उक्त धारा की उपधारा (7) का खंड (कक) "औद्योगिक उपक्रम" को परिभाषित करता है जिससे ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जो माल या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विनिर्माण या प्रसंस्करण अथवा विद्युत के उत्पादन या वितरण अथवा किसी अन्य प्रकार की शक्ति या खनन के कारबार में या पोतों, वायुयानों और रेल प्रणाली के निर्माण में लगा हुआ है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि "औद्योगिक उपक्रम" की परिभाषा के अंतर्गत ऐसे किसी उपक्रम को सम्मिलित किया जा सके जो दूर-संचार सेवाएं, चाहे आधारिक हों या सेलुलर जिनके अंतर्गत रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा, ट्रंक नेटवर्क, ब्राडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं हैं, उपलब्ध कराने के कारबार में लगा है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 28 - "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन हानियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 74 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में, ऐसी आय के प्रति, यदि कोई हो, अगले निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन किसी हानि को अग्रनीत और मुजरा करने का उपबंध है । मुजरा की जाने वाली शेष हानि को अगले निर्धारण वर्ष में अग्रनीत किया जा सकता है और इसी प्रकार आगे किया जाता रहेगा।

धारा 74 की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी निर्धारण वर्ष की बाबत "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणना का अंतिम परिणाम निर्धारिती को हानि है जहां तक ऐसी हानि का संबंध किसी अल्पकालिक आस्ति से है, वहां इसे ऐसी आय के प्रति, यदि कोई हो, किसी अन्य पूंजी आस्ति की बाबत अगले निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन अग्रनीत और मुजरा किया जाएगा और जहां तक ऐसी हानि का संबंध किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति से है, वहां इसे ऐसी आय के प्रति, यदि कोई हो, किसी अन्य पूंजी आस्ति की बाबत, जो कोई अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है, अगले निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन अग्रनीत और मुजरा किया जाएगा। मुजरा किए जाने वाली शेष हानि अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी और इसी प्रकार आगे भी किया जाता रहेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का लोप करने का भी प्रस्ताव है जो 1 अप्रैल, 1987 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या पूर्व निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 29 - कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को संदानों की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80छ का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 80छ में विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी निर्धारिती को उसके द्वारा किए गए संदानों की बाबत उसकी कुल आय से कोई कटौती करने के लिए अनुज्ञात किया गया है। कटौती की रकम कतिपय निधियों को किए गए संदानों के संबंध में शत-प्रतिशत है।

खंड (क), धारा 80छ के सुसंगत उपबंधों को, गुजरात में भूकंप पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त रकम के संबंध में उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी निधि, न्यास या संस्था को लागू करने के लिए है ।

खंड (ख), गुजरात में भूकंप पीड़ितों के लिए न्यास या संस्था या निधि द्वारा प्राप्त संदानों के उपयोग के लिए समय-सीमा को, 31 मार्च, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक बढ़ाने के लिए है ।

खंड (ग), न्यास या संस्था या निधि द्वारा प्राप्त रकम को, जो उपयोग नहीं की गई है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में अंतरित करने की समय-सीमा को 31 मार्च, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक बढ़ाने के लिए है ।

खंड (घ), ऐसे न्यास या संस्था के लेखाओं को, विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करने की तारीख को 30 जून, 2002 से 30 जून, 2003 तक बढ़ाने के लिए है ।

ये संशोधन 3 फरवरी, 2001 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

खंड 30 - वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास में कतिपय संदानों की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80छछक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (गग) के विद्यमान उपबंधों के अधीन निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में किसी संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और वनरोपण का कोई कार्यक्रम चलाना है, यथास्थिति, विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण के किसी कार्यक्रम में उपयोग करने के लिए या वनरोपण के लिए ऐसी निधि में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, संदत्त कोई राशि कटौती के रूप में अनुज्ञात है ।

खंड (i) उक्त खंड (ग) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि धारा 35गगख के उपबंधों को 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व किए गए संदायों की बाबत लागू किया जा सके ।

खंड (ii) उक्त खंड (गग) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि धारा 35गगख के उपबंधों को 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व किए गए संदायों की बाबत लागू किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 31 - संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में उपार्जनों की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80जजघ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसे किसी निर्धारिती को, जो भारतीय कंपनी या भारत में निवासी व्यक्ति (कंपनी से भिन्न) है और जो विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होटल या टूर आपरेटर के कारबार में लगा हुआ है, निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवाओं से उसके द्वारा व्युत्पन्न लाभों के बीस प्रतिशत के योग के बराबर राशि और लाभों के बीस प्रतिशत से अनधिक उतनी रकम की, जो उस पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई है, जिसकी बाबत कटौती अनुज्ञात की जानी है और पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) में अधिकथित रीति में निर्धारिती के कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए आरक्षित खाते में जमा की जानी है, कटौती अनुज्ञात की गई है । निर्धारण वर्ष 2004-2005 के लिए निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में लाभों के दस प्रतिशत की दर पर और लाभों के दस प्रतिशत से अनधिक उतनी रकम की, जो उस पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई है, जिसकी बाबत कटौती मंजूर की जानी है और उस उपधारा में अधिकथित रीति में निर्धारिती के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए आरक्षित खाते में जमा की जानी है, समान कटौती अनुज्ञात की गई है ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) का संशोधन किया जाए जिससे कि उक्त कटौतियों को क्रमशः बीस प्रतिशत से बढ़ाकर पच्चीस प्रतिशत और दस प्रतिशत से बढ़ाकर पन्द्रह प्रतिशत किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 32 - अवसंरचना विकास, आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई निर्धारिती अपने विकल्प पर किसी ऐसे वर्ष से, जिसमें उपक्रम या उद्यम कोई अवसंरचना सुविधा विकसित करता है, या उसका प्रचालन करता है या दूर-संचार सेवा देना प्रारंभ करता है, या औद्योगिक पार्क विकसित करता है या विद्युत पैदा करता है या विद्युत का पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है, प्रारंभ होने वाले पंद्रह वर्षों में से किन्हीं दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए कटौती का दावा कर सकेगा।

उपखंड (क), उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि ऐसे निर्धारिती को, जो उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (iii) में निर्दिष्ट विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है या विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षण और प्रचालन करता है,

इस बात का विकल्प दिया जा सके कि वह उस वर्ष का चुनाव करे, जिससे पंद्रह वर्षों में से दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए कर अवकाश का दावा किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (7) में विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसे निर्धारितियों से, जो कंपनी या सहकारी सोसाइटी है, उस उपधारा के अधीन अपेक्षित आय-कर विवरणी के साथ विहित प्ररूप और रीति में पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

उपखंड (ख), उपधारा (7) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि धारा 80झक की उपधारा (1) के अधीन कटौती का दावा करने के प्रयोजन के लिए भी कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के लिए विहित प्ररूप और रीति में ऐसी पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट देने की अपेक्षा को आज्ञापक बनाया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 33 - अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों के लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है ।

खंड (क) उक्त धारा में नई उपधाराएं (7क) और (7ख) अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित उपधारा (7क) यह उपबंध करने के लिए है कि बहुविध थिएटर का निर्माण स्वामित्व रखने और प्रचालन के कारबार के लाभ आरंभिक निर्धारण वर्ष से जिसमें वह निर्मित किया जाता है, आरंभ होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों की पचास प्रतिशत कटौती के वहां पात्र होंगे जहां बहुविध थिएटर 1 अप्रैल, 2002 और 31 मार्च, 2005 की अवधि के दौरान किसी समय कार्य करना आरंभ करता है। तथापि, यह कटौती कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई शहरों में ऐसे कारबारों को लागू नहीं होगी। यह वहां भी अनुज्ञात नहीं की जाएगी जहां कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को विभाजित करके या उसकी पुनः संरचना करके या किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी भवन या किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार में अंतरण करके बनाया गया है। कटौती के दावे के लिए निर्धारिती को विहित प्ररूप में और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल करनी होगी ।

प्रस्तावित उपधारा (7ख) यह उपबंध करने के लिए है कि किसी कन्वेंशन केंद्र के निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन के कारबार के लाभ आरंभिक निर्धारण वर्ष से जिसमें वह निर्मित किया जाता है आरंभ होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के ऐसे लाभों और अभिलाभों की पचास प्रतिशत कटौती के लिए वहां पात्र होंगे जहां कन्वेंशन केंद्र निर्धारिती की ओर से 1 अप्रैल, 2002 और 31 मार्च, 2005 के दौरान किसी समय वाणिज्यिक कार्य करना आरंभ करता है । कटौती वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी जहां कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को विभाजित करके या उसकी पुनः संरचना करके या किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त भवन या मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार में अंतरण करके बनाया गया है । कटौती के दावे के लिए निर्धारिती को विहित प्ररूप में और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल करनी होगी।

खंड (ख)(i) उपधारा (14) में एक नया खंड (कक) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि "अभिसमय केंद्र" पद को सम्मेलन और संगोष्ठियां कराने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अभिसमय हालों वाले भवन के रूप में परिभाषित किया जा सके।

खंड (ख)(ii) उक्त धारा की उपधारा (14) के खंड (ग) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बहुविध थिएटर की दशा में, आरंभिक निर्धारण वर्ष से, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें ऐसा सिनेमा हाल जो उक्त बहुविध थिएटर का भाग नहीं है, वाणिज्यिक आधार पर कार्य करना आरंभ कर देता है और अभिसमय केंद्र की दशा में निर्धारण वर्ष से, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें अभिसमय केंद्र वाणिज्यिक आधार पर कार्य करना आरंभ कर देता है।

खंड (ख)(iii) खंड (घ) के पश्चात् एक नया खंड (घक) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि "बहुविध थिएटर" पद को वाणिज्यिक आधार पर प्रचालित दो या अधिक सिनेमा थिएटरों और वाणिज्यिक दुकानों वाले भवन के रूप में परिभाषित किया जा सके। जो उस आकार के और उतनी संख्या में तथा जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएं और प्रसुविधाएं हों जो विहित की जाएं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 34 - कतिपय अंतर-निगमित लाभांशों की बाबत कटौती से संबंधित नई धारा 80ड अंतःस्थापित करने के लिए है ।

यह प्रस्ताव है कि एक नई धारा अंतःस्थापित की जाए जिससे कि ऐसी देशी कंपनी के लिए, जो अन्य देशी कंपनियों से लाभांश प्राप्त करती है और लाभांश के रूप में उन्हें पुनः वितरित करती है, कटौती का उपबंध किया जा सके । किसी देशी कंपनी द्वारा किसी अन्य देशी कंपनी से प्राप्त लाभांशों के संबंध में कटौती की रकम प्राप्तिकर्ता कंपनी द्वारा वितरित लाभांशों की सीमा तक होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 35 - जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय, आदि पर रिबेट से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 88 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, किसी पूर्ववर्ष की कुल आय पर संदेय कर से प्रभार्य उसकी आय में से विनिर्दिष्ट स्कीमों में संदत्त या निक्षिप्त राशियों की निश्चित प्रतिशतता के बराबर किसी रकम की कटौती करने का उपबंध करता है ।

उपखंड (क), उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई निर्धारिती, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, अपनी कुल आय पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य आय-कर की रकम में से (जो इस अध्याय के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व संगणित की गई है) किसी व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी सकल कुल आय अध्याय 6क के अधीन कटौतियां करने से पूर्व एक लाख पचास हजार रुपए या उससे कम है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि के बीस प्रतिशत के बराबर कटौती का हकदार होगा । यद्यपि, कोई व्यष्टि उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि के योग के तीस प्रतिशत की राशि के बराबर कटौती का हकदार होगा यदि उसकी सकल कुल आय, अध्याय 6क के अधीन कटौती करने से पूर्व "वेतन" शीर्ष के अधीन, धारा 16 के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व, पूर्ववर्ष के दौरान एक लाख रुपए से अधिक नहीं है और धारा 80ख की उपधारा (5) में यथापरिभाषित उसकी सकल कुल आय नब्बे प्रतिशत से कम नहीं है । किसी व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी कुल आय अध्याय 6क के अधीन कटौतियां करने से पूर्व एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है किंतु पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि के दस प्रतिशत के बराबर आय-कर की रकम से कटौती का हकदार होगा। किसी व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी सकल कुल आय, अध्याय 6क के अधीन कटौतियां करने से पूर्व पांच लाख रुपए से अधिक है, कोई कर रिबेट अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

किसी व्यष्टि के लिए जो किसी लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ, अभिनेता या खिलाड़ी (जिसके अंतर्गत खेलकूद में भाग लेने वाला भी है) के रूप में अपनी वृत्ति करने से व्युत्पन्न आय के लिए विद्यमान उपबंधों के अधीन पच्चीस प्रतिशत की उच्चतर कर रिबेट अनुज्ञात है । प्रस्तावित नई उपधारा (1) के अधीन लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ, अभिनेता या खिलाड़ी (जिसके अंतर्गत खेलकूद में भाग लेने वाला भी है) पच्चीस प्रतिशत की किसी उच्चतर रिबेट के हकदार नहीं होंगे । ऐसे व्यक्ति प्रस्तावित उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार रिबेट के हकदार होंगे ।

उपखंड (ख), उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि इस शर्त को हटाया जा सके कि निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में संदत्त या निक्षिप्त राशि, उस पूर्ववर्ष के लिए कर से प्रभार्य उसकी आय से बाहर रह सके ।

उपखंड (ग), एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट स्कीमों में पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय संदत्त या निक्षिप्त की जाएगी और कोई निर्धारिती जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, उपधारा (1) के अधीन ऐसी संदत्त या निक्षिप्त कुल राशि में से कटौती का हकदार होगा जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान कर से प्रभार्य निर्धारिती की कुल आय से अधिक नहीं है।

उपखंड (घ), उपधारा (5) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपधारा (2) के खंड (i) से खंड (xvii) में निर्दिष्ट किसी राशि का योग अस्सी हजार रुपए की रकम से अधिक है, वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे योग के उतने भाग के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो अस्सी हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं है । तथापि, (क) उपधारा (2) के खंड (i) से खंड (xv) में विनिर्दिष्ट किसी राशि का योग साठ हजार रुपए की रकम से अधिक है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसी राशि की बाबत उतनी कुल राशि के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो साठ हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं है; और (ख) जहां उपधारा (2) के खंड (xv) में विनिर्दिष्ट किसी राशि का योग बीस हजार रुपए की रकम से अधिक है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसी राशि की बाबत उतनी कुल राशि के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो बीस हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं है ।

उपखंड (ङ) और उपखंड (च), उपधारा (5क) और उपधारा (6) का लोप करने के लिए है जो पारिणामिक प्रकृति का है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 36 - आय-कर अधिनियम में, उस दशा में राहत, जिसमें वेतन आदि का संदाय बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाता है, से संबंधित धारा 89 के स्थान पर एक नई धारा रखने के लिए है ।

धारा 89 के विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई निर्धारिती कर राहत के लिए हकदार है, यदि बकाया या अग्रिम के रूप में वेतन प्राप्त करने या ऐसा संदाय प्राप्त करने के कारण, जो धारा 17 के खंड (3) के अधीन वेतन के बदले लाभ है, उसका कर दायित्व प्राप्ति के वर्ष से बढ़ जाता है ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि ऐसे निर्धारितियों के लिए, जो कुटुंब पेंशन की बकाया प्राप्त करते हैं, समान कर राहत का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1996 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1996-97 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 37 - असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से आय की संगणना करने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 92 को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (1) में यह उपबंध है कि किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से प्रोद्‌भूत होने वाली किसी आय की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रख कर की जाएगी । यह प्रस्ताव है कि उपधारा (1) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से प्रोद्‌भूत होने वाले किसी व्यय या ब्याज के लिए मोक का अवधारण भी असन्निकट कीमत को ध्यान में रख कर किया जाएगा ।

प्रस्तावित उपधारा (2) विद्यमान धारा 92 की उपधारा (3) के अनुरूप है।

प्रस्तावित उपधारा (3) में यह उपबंध है कि इस धारा के उपबंध ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जिनमें आय की संगणना या किसी व्यय या ब्याज के लिए मोक का अवधारण या आबंटित या प्रभाजित या अंशदान किए गए किसी खर्च या व्यय का अवधारण करने का प्रभाव उस पूर्ववर्ष की बाबत, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का करार किया गया था, लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर संगणित, यथास्थिति, कर से प्रभार्य आय को कम करना या हानि को बढ़ाना है ।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 38 - सहयुक्त उद्यम के अर्थ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 92क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है जब दो उद्यमों को सहयुक्त उद्यम समझा जाएगा।

उक्त उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि "उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए" शब्दों को अंतःस्थापित किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 39 - असन्निकट कीमत की संगणना से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 92ग का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों के अधीन सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति विहित रीति से असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए लागू की जाएगी । उक्त उपधारा के परंतुक में उपबंध किया गया है कि यदि सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति के लागू करने से एक कीमत से अधिक का अवधारण होता हो तो अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत ऐसी कीमत का अंकगणितीय औसत माना जाएगा ।

उपधारा (2) के पूर्वोक्त परंतुक के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति का परिणाम एक से अधिक कीमत आता हो वहां अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत को, या निर्धारिती के विकल्प पर ऐसी कीमत को, जो ऐसे अंकगणितीय औसत के पांच प्रतिशत से अनधिक रकम द्वारा अंकगणितीय औसत से भिन्न हो, ऐसी कीमत का अंकगणितीय औसत माना जाएगा ।

उक्त धारा की उपधारा (4) के विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां उपधारा (3) के अधीन असन्निकट कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित की जाती है वहां निर्धारण अधिकारी, इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना कर सकेगा । उपधारा (4) के दूसरे परंतुक में यह उपबंध किया गया है कि जहां किसी उद्यम की कुल आय की संगणना निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे अन्य सहयुक्त उद्यम को संदत्त असन्निकट कीमत के अवधारण पर की गई है, जिससे अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन कर की कटौती की गई है, वहां सहयुक्त उद्यम की आय की पुनःसंगणना पहले उल्लिखित उद्यम के मामले में असन्निकट कीमत के ऐसे अवधारण के कारण नहीं की जाएगी ।

उक्त दूसरे परंतुक के संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उसके उपबंध केवल इस दशा में ही नहीं, जहां अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती की गई है किन्तु उन दशाओं में भी है जहां ऐसा कर कटौती-योग्य था फिर भी वास्तविक रूप से कर में कटौती न की गई हो, लागू होंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 40 - असन्निकट कीमत आदि की संगणना से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 92च का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के खंड (iii) में, अन्य बातों के साथ-साथ, उद्यम को परिभाषित किया गया है जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है (जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का स्थायी स्थापन भी है) जो उक्त खंड में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप में लगा हुआ है या लगाया गया है या जिसके लगाए जाने का प्रस्ताव है ।

उपखंड (क), उक्त खंड (iii) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त खंड में उल्लिखित क्रियाकलापों के अंतर्गत किसी संविदा के अनुसरण में किसी कार्य का किया जाना सम्मिलित है ।

उपखंड (ख), खंड (iii) के पश्चात्‌ एक नया खंड अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि "स्थायी स्थापन" पद को परिभाषित किया जा सके जिसके अंतर्गत कारबार का वह निश्चित स्थान है जहां से किसी उद्यम का कारबार पूर्णतः या भागतः चलाया जाता है ।

उपर्युक्त धारा का खंड (iv) का विद्यमान उपबंध यह परिभाषित करता है कि "विनिर्दिष्ट तारीख" से किसी कंपनी की दशा में सुसंगत निर्धारण वर्ष की 31 अक्तूबर और किसी अन्य दशा में सुसंगत निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई अभिप्रेत है ।

उपखंड (ग), खंड (iv) का प्रतिस्थापन करने के लिए है जिससे कि "विनिर्दिष्ट तारीख" को परिभाषित करने के लिए यह उपबंध किया जा सके कि इसका वही अर्थ है जो धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में, "निश्चित तारीख" का है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 41 - ब्लाक निर्धारण तलाशी मामलों की दशा में कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 113 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध के अधीन, धारा 158खग के अधीन अवधारित ब्लाक अवधि की अप्रकटित कुल आय साठ प्रतिशत की दर पर कर से प्रभार्य होगी ।

उक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि उस धारा के अधीन प्रभार्य कर में अधिभार, यदि कोई हो, की वृद्धि की जाएगी और वह उस वित्तीय वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में लागू होगी जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की गई थी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 42 - विदेशी कंपनियों की दशा में लाभांश, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त उपधारा में यह प्रस्ताव है कि "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" निर्देशों का लोप किया जाए । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 43 - विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से अथवा उनके अंतरण से उद्‌भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115कग का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क) धारा 115कग में "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" के प्रति निर्देशों का लोप करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (iii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, उस निर्धारिती की दशा में जो अनिवासी है, ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पुनः जारी की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से, जो उसके द्वारा किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करेंसी में किसी भारतीय कंपनी के विद्यमान शेयरों के संबंध में क्रय की गई हों, उद्‌भूत लाभांश और दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर दस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।

उपखंड (ख)(i) उक्त उपखंड (iii) का संशोधन करने के लिए है, जिससे ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जारी

या पुनः जारी की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से, जो निर्धारिती द्वारा किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करेंसी में किसी भारतीय कंपनी के विद्यमान शेयरों के संबंध में क्रय की गई हों, उद्भूत लाभांश और दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर, रियायती कर की दर का विस्तार किया जा सके ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (iv) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसे निर्धारिती की दशा में जो अनिवासी है, ऐसी सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से, जो ऐसी स्कीम के अनुसार, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जारी की गई हों और उसके द्वारा किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करेंसी में, ऐसी कंपनी द्वारा अपनी समनुषंगी कंपनी में अपविनिधान से उद्भूत किसी भारतीय कंपनी के शेयरों के संबंध में क्रय की गई हों और ऐसी दोनों भारतीय कंपनियों के शेयर भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों उद्भूत लाभांश और दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर दस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है ।

उपखंड (ख)(ii) उक्त उपखंड (iv) का लोप करने के लिए है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 44 - विदेशी मुद्रा में क्रय की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों या उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक का संशोधन करने के लिए है ।

यह प्रस्ताव है कि धारा 115कगक में, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" निर्देशों का लोप किया जाए । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 45 - विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की प्रतिभूतियों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ का संशोधन करने के लिए है ।

यह प्रस्ताव है कि धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में, " धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में आय से भिन्न" निर्देश का लोप किया जाए। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 46 - आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 में एक नई धारा 115खखख अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की किसी खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि की आय दस प्रतिशत की दर से आय-कर से प्रभारित होगी ।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए भी है कि इस धारा के उपबंध 31 मार्च, 2003 के पश्चात् प्रोद्भूत ऐसी किसी आय के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 47 - अध्याय 12क में परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115ग का संशोधन करने के लिए है ।

यह प्रस्ताव है कि खंड (ग) में, "विनिधान आय" पद की परिभाषा में आने वाले "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" निर्देश का लोप किया जाए । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 48 - कतिपय कंपनियों से संबंधित समझी गई आय पर न्यूनतम कर के प्रभारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115जक का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) को इस दृष्टि से प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि जहां हानि की रकम जो अग्रनीत की जाती है या शेष अवक्षयण शून्य है वहां ऐसी हानि की रकम जो अग्रनीत की जाती है या शेष अवक्षयण की बाबत किसी राशि की उसकी बही में से कटौती नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1997 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 1997-1998 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 49 - कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115जख का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में देशी कंपनी के संबंध में बही लाभ के साढ़े सात प्रतिशत के बराबर रकम के न्यूनतम कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध है, यदि आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार कर से प्रभार्य कुल आय बही लाभ के साढ़े सात प्रतिशत से कम है।

उपखंड (क) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कर से प्रभार्य कुल आय पर संदेय कर बही लाभ के साढ़े सात प्रतिशत से कम है, वहां ऐसा बही लाभ निर्धारिती की कुल आय समझा जाएगा और ऐसी कुल आय पर निर्धारिती द्वारा संदेय कर साढ़े सात प्रतिशत की दर से आय-कर की रकम होगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (ख) (i) उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि जब रकमें धारा 33कग के अधीन विनिर्दिष्ट आरक्षिती में अंतरित की जाती हैं तब बही लाभ बढ़ न सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उपखंड (ख) (ii) उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के नीचे स्पष्टीकरण में विद्यमान खंड (i) को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 1997 से पूर्व सृजित किसी आरक्षिती से लाभ-हानि खाते के संबंध में किसी विकलन से भिन्न रूप में वापस ली गई रकम को बही लाभ से घटाया नहीं जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि 1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् सृजित किसी आरक्षिती या व्यवस्था से वापस ली गई रकम, जो लाभ-हानि खाते जमा की गई हैं, तब तक बही लाभ से घटाई नहीं जाएंगी जब तक ऐसे बही लाभ को उस आरक्षिती के (जिसमें उक्त रकम वापस ली गई थी) ऐसी आरक्षिती या व्यवस्था अंतरित रकम से बढ़ा नही दिया जाता है।

उपखंड (ख) (iii) स्पष्टीकरण की मद (iii) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि जहां अग्रनीत हानि या शेष अवक्षयण की रकम का मूल्य शून्य है वहां ऐसी अग्रनीत हानि या शेष अवक्षयण के मद्दे कोई रकम बही लाभ से घटाई नहीं जाएगी।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 50 - देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर से संबंधित धारा 115ण का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई देशी कंपनी वितरित लाभों पर कर का संदाय करने के लिए दायी है । कंपनी द्वारा इस प्रकार संदत्त किए गए कर को लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त रकम की बाबत कर का अंतिम संदाय माना जाता है।

यह प्रस्ताव है कि धारा 115ण का संशोधन किया जाए जिससे कि इस धारा के उपबंधों को केवल 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व देशी कंपनियों द्वारा वितरित लाभों की बाबत लागू किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 51 - यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115द का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि अपने यूनिट धारकों को वितरित आय के संबंध में दस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

उपखंड (क), उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि इसको भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इसके यूनिट धारकों को 31 मार्च, 2002 को या उसके पूर्व वितरित की गई आय के संबंध में लागू किया जा सके ।

उपखंड (ख), उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि इसको पारस्परिक निधि द्वारा इसके यूनिट धारकों को 31 मार्च, 2002 को या उसके पूर्व वितरित की गई आय के संबंध में लागू किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 52 - अधीनस्थ प्राधिकारियों को अनुदेश से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 119 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, बोर्ड, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो, राजस्व के निर्धारण और संग्रहण के

काम के उचित और दक्ष प्रबंध के लिए समय-समय पर उसमें विनिर्दिष्ट धाराओं के उपबंधों में से किसी के शिथिलीकरण के रूप में या अन्यथा, साधारण या विशेष आदेश आय के किसी वर्ग या मामलों के किसी वर्ग की बाबत जारी कर सकेगा, जिनमें राजस्व के निर्धारण या संग्रहण या शास्तियां अधिरोपित करने के लिए कार्यवाही आरंभ करने से संबंधित काम में अन्य आय-कर प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्गदर्शनों, सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के बारे में, निर्धारितियों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाले, निदेश या अनुदेश हो ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे साधारण या विशेष आदेश, बोर्ड द्वारा धारा 158खचक के उपबंधों के शिथिलीकरण के रूप में जारी किए जा सकेंगे ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 53 - तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 132 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्राधिकृत अधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश करने और तलाशी लेने तथा तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई किन्हीं लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण करने के लिए सशक्त है ।

उक्त उपधारा में एक नए खंड (iiख) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां तलाशी के स्थान में उपलब्ध लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के रूप में बनाए रखा जाता है वहां, ऐसे व्यक्ति से जिसके कब्जे या नियंत्रण में ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज पाए जाते हैं, ऐसी सभी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सुविधाएं देने की अपेक्षा की जाएगी।

उपधारा (5) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां 1 जुलाई, 1995 से पूर्व प्रारंभ की गई तलाशी या की गई अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज अभिगृहीत की जाती है, वहां निर्धारण अधिकारी से ऐसे अभिग्रहण के एक सौ बीस दिन के भीतर, प्रकट न की गई आय का, संक्षिप्त रीति में प्राक्कलन करने, कर की रकम की संगणना करने और संदेय ब्याज की रकम तथा शास्ति की उस रकम का, जो निर्धारिती द्वारा उस पर संदेय होगी, अवधारण करने वाला एक आदेश पारित करने की अपेक्षा की जाएगी ।

उक्त उपधारा (5) का जो 1 जुलाई, 1995 को या उससे पूर्व प्रारंभ की गई तलाशियों या की गई अध्यपेक्षा की बाबत लागू थी, लोप करने का प्रस्ताव है । उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (11), उपधारा (11क) और उपधारा (12) का भी लोप करने का प्रस्ताव है, जो इस खंड द्वारा लोप किए जाने के लिए प्रस्तावित उपधारा (5) के अधीन प्रकट न की गई आय के प्राक्कलन से संबंधित है ।

उपधारा (8) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, अभिगृहीत की गई लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिग्रहण की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि के लिए तब तक प्रतिधारित नहीं की जाएंगी जब तक उनको प्रतिधारित करने के कारण उसके द्वारा अभिलिखित नहीं कर दिए जाते हैं और ऐसे प्रतिधारण के लिए मुख्य आयुक्त, आयुक्त, महानिदेशक या निदेशक का अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाता है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि अभिगृहीत की गई लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज, धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन निर्धारण के आदेश की तारीख से तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए तब तक प्रतिधारित नहीं किए जाएंगे जब तक उन्हें प्रतिधारण करने के कारण अभिलिखित नहीं कर दिए जाते हैं और विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।

उपधारा (8क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, स्वामी या ऐसे व्यक्ति को, जिसके अव्यवहित कब्जे में या नियंत्रण में कोई लेखा बहियां, दस्तावेज या आस्तियां हैं, प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उनसे किसी रीति में संव्यवहार करने से अवरुद्ध करते हुए उपधारा (3) के अधीन पारित कोई आदेश, ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा । साठ दिन की ऐसी कालावधि का विस्तार, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से और इस धारा में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के अनुमोदन से, आय-कर अधिनियम के अधीन सभी सुसंगत कार्यवाहियों के पूरा होने के पश्चात् साठ दिन के अवसान तक किसी कालावधि के लिए किया जा सकता है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (3) के अधीन पारित कोई आदेश, ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन से अधिक की कालावधि के लिए प्रवृत्त नहीं होगा और उक्त अवधि का किसी भी कारण से, चाहे जो भी हो, विस्तार नहीं किया जा सकता ।

उपधारा (9क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे व्यक्ति पर कोई अधिकारिता नहीं है जिसके मामले में तलाशी ली गई थी, वहां अभिगृहीत की गई लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजें या आस्तियां उसके द्वारा उस व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले आय-कर अधिकारी को ऐसे अभिग्रहण के पंद्रह दिन की कालावधि के भीतर सौंप दी जाएंगी ।

उक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त समय-सीमा को, उस तारीख से, जिसको तलाशी का अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, बढ़ाकर साठ दिन किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (14) के नीचे आने वाले स्पष्टीकरण 1 के विद्यमान उपबंध, उपधारा (5) के उपबंधों से संबंधित हैं जिनका लोप करने का प्रस्ताव है ।

अतः उक्त स्पष्टीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि उपधारा (9क) में प्रस्तावित प्रयोजनों के लिए, "तलाशी के किसी प्राधिकार का निष्पादन" का वही अर्थ है जो धारा 158खङ के स्पष्टीकरण 2 में है ।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार उस तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ की गई तलाशी के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 54 - अभिगृहीत या अध्यपेक्षित आस्तियों के उपयोजन से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 132ख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में उस रीति का उपबंध है जिसमें धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन तलाशी के दौरान अभिगृहीत और प्रतिधारित आस्तियों के संबंध में किसी विद्यमान दायित्व और ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप किए गए निर्धारणों या पुनर्निर्धारणों पर उद्भूत दायित्व की रकम के निर्वहन में कार्यवाही की जाएगी ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि उसमें अंतर्विष्ट उपबंधों का अध्याय 14ख के अधीन अधिकथित तलाशी के मामलों में निर्धारण के उपबंधों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके ।

यह और प्रस्ताव है कि खंड (i) को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि उसमें तलाशी के दौरान अभिगृहीत आस्तियों के दिए जाने से संबंधित उपबंध तब सम्मिलित किया जा सके जब ऐसी आस्तियों के अर्जन की प्रकृति और स्रोत को, उससे किसी विद्यमान दायित्व की वसूली के पश्चात् निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में स्पष्ट कर दिया गया है । तथापि, ऐसी आस्तियों या उसके किसी भाग को, उस तारीख से, जिसको तलाशी या अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर दे दिया जाएगा ।

प्रस्तावित उपधारा (1) के खंड (ii) और खंड (iii) और उपधारा (2) और उपधारा (3) विद्यमान धारा 132ख की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अनुसार है।

उपधारा (4) के विद्यमान उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार से, उतनी रकम पर, जितनी से धारा 132 के अधीन प्रतिधारित धन की रकम और विद्यमान दायित्व के निर्वहन के लिए बेची गई आस्तियों के आगम की रकम का योग, यदि कोई है, उस धारा की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम के योग से अधिक है, पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा की गई है । ब्याज धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन आदेश की तारीख के पश्चात् छह मास से आरंभ होने वाली और अंतिम निर्धारण या पुनर्निर्धारण की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए संदेय है ।

यह प्रस्ताव है कि उपधारा (4) को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि अध्याय 14ख में अधिकथित तलाशी के मामलों में निर्धारण के लिए नई प्रक्रिया का उपबंध किया जा सके और उस दर को, जिस पर केंद्रीय सरकार द्वारा ब्याज संदेय है, पन्द्रह प्रतिशत से कम करके आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष किया जा सके ।

यह और प्रस्ताव है कि "ब्लाक अवधि" और "तलाशी अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकार का निष्पादन" के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार उस तारीख को या उसके पश्चात् आरंभ की गई तलाशी की बाबत लागू होंगे ।

खंड 55 - सर्वेक्षण की शक्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 133क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई आय-कर प्राधिकारी, उक्त धारा के अधीन कार्य करते हुए, यदि वह ऐसा आवश्यक समझता है तो, अपने द्वारा निरीक्षित लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों पर पहचान चिह्न लगा सकता है, उससे उद्धरण या नकलें ले सकता है, अपने द्वारा जांच की गई या सत्यापित की गई कोई नकदी, स्टाक या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की तालिका बना सकता है और किसी व्यक्ति का कथन अभिलिखित कर सकता है, जो आय-कर अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो ।

उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन कार्य करने वाला आय-कर प्राधिकारी (किसी आय-कर निरीक्षक से

भिन्न), अपने द्वारा निरीक्षित की गई लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को, ऐसा करने के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, परिबद्ध कर सकेगा और अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा । यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को, उसके लिए आय-कर के मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या आयुक्त या निदेशक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, पंद्रह दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (4) के विद्यमान उपबंध के अधीन इस धारा के अधीन कार्य करते हुए कोई आय-कर प्राधिकारी, किसी भी दशा में, उस स्थान से जहां उसने प्रवेश किया है, कोई लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजें या कोई नकदी, स्टाक या मूल्यवान वस्तु या चीज न तो हटाएगा न हटवाएगा ।

इस धारा के अधीन कार्य करते हुए आय-कर प्राधिकारी को किन्हीं लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को हटाने या हटवाने में समर्थ करने के लिए उपधारा (4) में "कोई लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजें या" शब्दों का लोप करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे ।

खंड 56 - आय की विवरणी से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन प्रत्येक कंपनी से, चाहे उसको आय या हानि हुई है और कंपनी से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, यदि पूर्ववर्ष के दौरान उसकी कुल आय जिसकी बाबत वह इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, आय-कर के लिए प्रभार्य अधिकतम रकम से अधिक नहीं है, नियत तारीख को या उससे पूर्व विहित प्ररूप में और रीति में ऐसी आय की विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा में उपधारा (1) के पश्चात् एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित की जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, जो ऐसा व्यष्टि है, जो "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय प्राप्त करता है, अपने विकल्प पर किसी पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी अपने नियोजक को दे सकेगा और ऐसा नियोजक नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उसके द्वारा प्राप्त विवरणियां देगा और ऐसी दशा में ऐसी विवरणी को धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन दी गई विवरणी समझा जाएगा। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसी आय की विवरणी नियोजक द्वारा ऐसे प्ररूप में (जिसके अंतर्गत फ्लापी, डिस्कैट, चुंबकीय कार्ट्रिज, टेप, सीडी-रोम या कोई अन्य कंप्यूटर पठनीय मीडिया सम्मिलित है) और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, दी जा सकेगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त उपधारा में नई उपधारा (4ग) का अंतःस्थापन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (21) में निर्दिष्ट प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, खंड (22ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक समाचार एजेंसी, खंड (23क) में निर्दिष्ट प्रत्येक संगम या संस्था, खंड (23ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक संस्था, खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट प्रत्येक न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट प्रत्येक विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट प्रत्येक अस्पताल या अन्य संस्था, खंड (24) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यवसाय संघ या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक संगम, यदि ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, समाचार एजेंसी, संगम या संस्था, निधि या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था या व्यवसाय संघ के संबंध में कुल आय, जो धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, तो पूर्ववर्ष की ऐसी आय की विवरणी जो विहित रूप में और विहित रीति से सत्यापित हो और उसमें ऐसी विशिष्टियां हों जो विहित की जाएं, प्रस्तुत करेगा तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे मानो वह धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई विवरणी हो ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां विवरणी के साथ ऐसे कर का, यदि कोई हो, जिसके स्रोत पर काटे जाने का दावा किया गया है, सबूत नहीं है, वहां आय की विवरणी को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जाएगा, यदि धारा 203 के अधीन कर की कटौती के लिए ऐसा प्रमाणपत्र, अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया गया था और ऐसा व्यक्ति धारा 155 की उपधारा (14) के अधीन विनिर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देता है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 57 - निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में कोई विवरणी दी गई है, वहां निर्धारण अधिकारी, यदि वह यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि निर्धारिती ने कम आय का विवरण नहीं दिया है या आधिक्य हानि संगणित नहीं की है या किसी रीति में कम कर संदत्त नहीं किया है, वहां वह निर्धारिती को एक सूचना की तामील करेगा जिसमें यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को कार्यालय में उपस्थित हो या वहां कोई ऐसा साक्ष्य, जिस पर निर्धारिती उस विवरणी के समर्थन में निर्भर करता है, पेश करे या करवाए। ऐसी सूचना की तामील, उस मास के अंत से जिसमें विवरणी पेश की जाती है, बारह मास के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी।

खंड (क) उक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में कोई विवरणी दी गई है, और जहां निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि विवरणी में दी गई किसी हानि, छूट, कटौती, मोक या सहायता का कोई दावा अननुज्ञेय है, वहां वह निर्धारिती को एक सूचना की तामील करेगा जिसमें हानि, छूट, कटौती, मोक या सहायता के ऐसे दावे की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी और उसमें विनिर्दिष्ट किसी तारीख को यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट किसी साक्ष्य या विशिष्टियां, जिस पर निर्धारिती अपने दावे के समर्थन में निर्भर करता है, पेश करे या करवाए और यह उपबंध करने के लिए भी है कि यदि वह यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझे कि निर्धारिती ने कम आय का विवरण नहीं दिया है या आधिक्य हानि संगणित नहीं की है या किसी रीति में कम कर संदत्त नहीं किया है, निर्धारिती को एक सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट तारीख को उसके कार्यालय में या तो उपस्थित हो या वहां ऐसे साक्ष्य को, जिस पर निर्धारिती उस विवरणी के समर्थन में निर्भर करता है, पेश करे या करवाए। यह और भी प्रस्ताव है कि यह उपबंध किया जाए कि इस उपधारा के अधीन निर्धारिती पर किसी सूचना की तामील उस मास के अंत से, जिसमें विवरणी पेश की जाती है, बारह मास के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, उस धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट दिन को या ऐसे साक्ष्य की सुनवाई के यावत्शक्य पश्चात्, जो निर्धारिती पेश करे या ऐसे अन्य साक्ष्य की सुनवाई के पश्चात्, जो निर्धारण अधिकारी, विनिर्दिष्ट चरणों पर अपेक्षा करे, और सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखने के पश्चात्, जो उसने एकत्रित की हैं, निर्धारण अधिकारी लिखित आदेश द्वारा, निर्धारिती की कुल आय और हानि का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा संदेय राशि या उसको देय किसी रकम के प्रतिदाय की राशि का अवधारण करेगा ।

उपखंड (ख) यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट दिन को, या ऐसे साक्ष्य की सुनवाई के पश्चात् और ऐसी विशिष्टियों पर विचार करने के पश्चात्, जो निर्धारिती पेश करे, निर्धारण अधिकारी लिखित आदेश द्वारा ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट दावे या दावों को मंजूर या खारिज करेगा और तदनुसार कुल आय या हानि का अवधारण करते हुए निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि का अवधारण करेगा और यह उपबंध करने के लिए भी है कि उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन जारी की गई या ऐसे साक्ष्य की सुनवाई के यावत्शक्य पश्चात्, जो निर्धारिती पेश करे और ऐसा अन्य साक्ष्य, जिसकी निर्धारण अधिकारी विनिर्दिष्ट चरणों पर अपेक्षा करे, और सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखने के पश्चात्, जो उसने एकत्रित की हैं, निर्धारण अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, निर्धारिती की कुल आय और हानि का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा संदेय राशि या उसको देय किसी रकम के प्रतिदाय की राशि का अवधारण करेगा ।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे ।

उपखंड (ग), यह धारा 43 की उपधारा (3) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है कि धारा 10 के खंड (21) में निर्दिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, खंड (22ख) में निर्दिष्ट समाचार एजेंसी, खंड (23क) में निर्दिष्ट संगम या संस्था, खंड (23ख) में निर्दिष्ट संस्था, खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट कोई अस्पताल या अन्य संस्था की दशा में, जिनसे धारा 139 की उपधारा (4ग) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षा की गई है, निर्धारण अधिकारी, ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, समाचार एजेंसी, संगम या संस्था या निधि या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की कुल आय या हानि के निर्धारण का आदेश

(धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना) तब तक नहीं करेगा जब तक उसने केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को, ऐसे खंडों के उपबंधों के उल्लंघन की सूचना न दे दी हो, जब उसकी दृष्टि में उल्लंघन किया गया है और जारी की गई अधिसूचना या ऐसे निकाय को किया गया अनुमोदन विखंडित या वापस न ले लिया गया हो ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 58 - निर्धारणों और पुनःनिर्धारणों को पूरा करने के लिए समय की परिसीमा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 153 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से प्रारंभ होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी, धारा 143 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को, धारा 10 के खंड (21) या खंड (22ख) या खंड (23क) या खंड (23ख) या खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के उपबंधों के उल्लंघन की सूचना देता है और उस तारीख को, जिसको उन खंडों के अधीन, यथास्थिति, अनुमोदन को वापस लेने के आदेश या अधिसूचना के विखंडन की प्रति निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि इस धारा के अधीन परिसीमा की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 59 - अन्य संशोधनों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 155 का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा में एक नई उपधारा (14) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी पूर्ववर्ष के लिए निर्धारण में या किसी पूर्ववर्ष के लिए धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या समझी गई सूचना में, धारा 199 के उपबंधों के अनुसार कटौती किए गए कर के लिए प्रत्यय इस आधार पर नहीं किया गया है कि धारा 203 के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र विवरणी के साथ फाइल नहीं किया गया था और तत्पश्चात्‌ ऐसा प्रमाणपत्र उस निर्धारण वर्ष के अंत से, जिसमें ऐसी आय निर्धारणीय है, दो वर्ष के भीतर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया जाता है, वहां निर्धारिती को स्रोत पर कटौती किए गए कर का प्रत्यय ऐसे प्रमाणपत्र के पेश किए जाने पर दिया जाएगा। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि प्रस्तावित धारा की कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि वह आय जिससे कर की कटौती की गई है, उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा फाइल की गई आय विवरणी में प्रकट नहीं कर दी जाती है ।

प्रस्तावित संशोधन निर्धारण अधिकारी को, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश या किसी सूचना या समझी गई सूचना को परिशोधित करने के लिए समर्थ बनाएगा।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त धारा में एक नई उपधारा (15) अंतःस्थापित की जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी वर्ष के लिए निर्धारण में किसी पूंजी आस्ति के, जो भूमि या भवन दोनों हैं, अंतरण से उद्‌भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना धारा 50ग की उपधारा (1) के अनुसरण में स्टांप शुल्क के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत निर्धारित मूल्य के रूप में प्रतिफल के संपूर्ण मूल्य को हिसाब में लेते हुए की जाएगी, और तत्पश्चात्‌, उस धारा की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपील या पुनरीक्षण या निर्देश में ऐसा मूल्य पुनरीक्षित किया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी, ऐसी अपील, या पुनरीक्षण या निर्देश में इस प्रकार पुनरीक्षित मूल्य के रूप में प्रतिफल के संपूर्ण मूल्य को हिसाब में लेते हुए, उक्त पूंजी अभिलाभ की संगणना को पुनरीक्षित करेगा। प्रस्तावित संशोधन, पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 60 - जब निर्धारिती दावा करता है कि विधि का समरूप प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है तब प्रक्रिया से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 158क का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 158क के विद्यमान उपबंधों में उन मामलों में विशेष प्रक्रिया के लिए उपबंध हैं, जहां कोई निर्धारिती, यह दावा करता है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में उद्‌भूत कोई विधि का प्रश्न, जो निर्धारण अधिकारी या किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में उद्‌भूत विधि के प्रश्न के समरूप है, जो धारा 256 के अधीन किसी निर्देश पर उच्च न्यायालय के समक्ष या धारा 257 के अधीन किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अथवा धारा 261 के अधीन अपील में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है । ऐसे मामलों में, निर्धारिती, यह घोषणा प्रस्तुत कर सकेगा कि यदि, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अपील प्राधिकारी, सुसंगत मामले में विधि के प्रश्न पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अंतिम विनिश्चय को लागू करने के लिए सहमत हो जाता है तो निर्धारिती, सुसंगत मामले में ऐसे विधि के प्रश्न को अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील में अथवा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी निर्देश के लिए या उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी अपील में नहीं उठाएगा ।

उच्च न्यायालय को अपील से संबंधित धारा 260क, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 द्वारा आय-कर अधिनियम में अंतःस्थापित की गई थी । धारा 158क की उपधारा (1) और उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि धारा 260क के अधीन उच्च न्यायालय को अपील से संबंधित निर्देश, उसमें सम्मिलित किया जा सके तथा धारा 158क की उपधारा (4) के खंड (ख) में धारा 256 और धारा 257 के निर्देशों का लोप किया जा सके ।

ये संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं ।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे ।

खंड 61 - परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 158ख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, "अप्रकटित आय" के अंतर्गत कोई धन, आभूषण सोना-चांदी, या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज अथवा लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में किसी प्रविष्टि पर आधारित कोई आय है, जहां ऐसा धन, आभूषण, सोना-चांदी, अन्य मूल्यवान वस्तु, चीज, लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में प्रविष्टि, जो पूर्णतः या भागतः ऐसी आय या संपत्ति के रूप में है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रकट नहीं की गई है या नहीं की गई होती।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन दावाकृत किसी व्यय, कटौती या भत्ते को, जो मिथ्या पाया जाता है, अप्रकटित आय में सम्मिलित करने का विनिर्दिष्टतः उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 62 - ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय की संगणना से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 158खख का संशोधन करने के लिए है ।

उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले पूर्ववर्षों की कुल आय के योग की संगणना लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों और ऐसी अन्य सामग्री या जानकारी की, जो निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध है, तलाशी या अपेक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

उक्त उपधारा के प्रारंभिक भाग का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कुल आय के ऐसे योग की संगणना, तलाशी या अपेक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त साक्ष्य के आधार पर और ऐसे साक्ष्य के संबंध में इकट्‌ठा की गई ऐसी अन्य सामग्री या जानकारी, जो निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध हो, के आधार पर आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

उक्त उपधारा के खंड (क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन ब्लाक अवधि की कुल आय के योग में से, धारा 143 या धारा 144 या धारा 147 के अधीन पूरे किए गए निर्धारणों के आधार पर निर्धारित, यथास्थिति, किसी पूर्ववर्ष की कुल आय को घटा दिया जाएगा या हानि को बढ़ा दिया जाएगा ।

उक्त खंड (क) का यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उसमें वर्णित संशोधन वे हैं जो तलाशी के प्रारंभ की तारीख या अपेक्षा की तारीख से पूर्व पूरे किए गए हैं ।

खंड (ख) के विद्यमान उपबंध के अधीन जहां धारा 139 या धारा 147 के अधीन आय की विवरणियां फाइल कर दी गई हों, किन्तु तलाशी या अपेक्षा की तारीख तक निर्धारण न किए गए हों तो ब्लाक अवधि की कुल आय के योग का समायोजन ऐसी विवरणी में प्रकटित आय या हानि से किया जाएगा ।

उक्त खंड (ख) के संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि इस उपबंध को धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन जारी की गई सूचना की प्रतिक्रिया में फाइल की गई विवरणी में प्रकटित आय या हानि की बाबत भी लागू किया जा सके।

खंड (ग) के विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां आय की विवरणी फाइल करने के लिए निश्चित तारीख समाप्त हो गई है किन्तु कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है वहां ब्लाक अवधि की कुल आय के योग का कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

उक्त खंड का खंड (ग) और खंड (गक) से प्रतिस्थापन का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि जहां आय की विवरणी के फाइल करने की निश्चित तारीख समाप्त हो गई हो, किन्तु आय की कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है, वहां ब्लाक अवधि की कुल आय का योग, तलाशी या अपेक्षा की तारीख को या उसके पूर्व सामान्य अनुक्रम में बनाई गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथाअभिलिखित प्रविष्टियों के आधार पर, जहां ऐसी प्रविष्टियां ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी पूर्ववर्ष के लिए हानि की

संगणना के परिणामस्वरूप हैं, या तलाशी या अपेक्षा की तारीख को या उसके पूर्व सामान्य अनुक्रम में बनाई गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथाअभिलिखित प्रविष्टियों के आधार पर, जहां ऐसी आय उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं है जो ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी पूर्ववर्ष के लिए कर से प्रभार्य नहीं है, अवधारित किसी रकम से समायोजित की जाएगा और किन्हीं अन्य मामलों में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण के खंड (क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन प्रत्येक पूर्ववर्ष की कुल आय या हानि, संकलन के प्रयोजन के लिए अध्याय 6 के अधीन अग्रनीत हानियों या धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन अनामेलित अवक्षयण के मुजरा को प्रभावी किए बिना, अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार संगणित कुल आय या हानि के रूप में संगणित की जाएगी।

उक्त खंड का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि संकलन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पूर्ववर्ष के कुल लाभ या हानि उक्त अग्रनीत हानियों या अनामेलित अवक्षयण के मुजरा को प्रभावित किए बिना, आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित की जाएगी और यह भी उपबंध करने के लिए है कि उक्त संकलन के प्रयोजनों के लिए अध्याय 6क के अधीन कटौतियों की संगणना करने में उक्त अग्रनीत हानियों या अनामेलित अवक्षयण के मुजरा को प्रभावी किया जाएगा ।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे ।

खंड 63 - ब्लाक निर्धारण के लिए प्रक्रिया से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 158खग का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन निर्धारण अधिकारी, ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय का अवधारण करने के लिए धारा 158खख में अधिकथित रीति से कार्यवाही करेगा और धारा 142, धारा 143 की उपधारा (2) और उपधारा (3) और धारा 144 के उपबंध जहां तक हो सके, लागू होंगे ।

उक्त खंड का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि लेखा पद्धति से संबंधित धारा 145 के उपबंध, जहां तक हो सके, धारा 158खख में अधिकथित रीति से ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय का अवधारण करने में भी लागू होंगे।

उक्त धारा के खंड (घ) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अपेक्षित आस्तियां आवश्यक परिमाण तक प्रतिधारित की जाएंगी और धारा 132ख के उपबंध ऐसे उपांतरों के अधीन रहते हुए, जो आवश्यक हों और जो उक्त खंड में विनिर्दिष्ट किए जाते हैं, लागू होंगे।

विधेयक के खंड 54 द्वारा धारा 132ख का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अध्याय 14ख में अधिकथित धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अपेक्षा के मामलों में निर्धारण के लिए प्रक्रिया का उपबंध किया जा सके ।

धारा 158खग के खंड (घ) के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अपेक्षित आस्तियों का धारा 132ख के उपबंधों के अनुसार निपटारा किया जा सके ।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे ।

खंड 64 - किसी अन्य व्यक्ति की अप्रकटित आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 158खघ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई अप्रकटित आय किसी ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की है, जिसके संबंध में धारा 132 के अधीन तलाशी की गई थी या जिसकी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या किसी आस्ति की धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई थी वहां अभिगृहीत या अपेक्षित लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजें या आस्तियां ऐसे निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाएंगी, जिसकी ऐसे अन्य व्यक्ति के संबंध में अधिकारिता है और वह निर्धारण अधिकारी, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और अध्याय 14ख के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

"और वह निर्धारण अधिकारी" शब्दों के पश्चात्, "धारा 158खग के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि वह निर्धारण अधिकारी धारा 158खग के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा।

खंड 65 - ब्लाक निर्धारण को पूरा करने की समय-सीमा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 158खङ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण 1 के विद्यमान उपबंधों के अधीन उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्लाक निर्धारण को पूरा करने के लिए समय सीमा की अवधि की संगणना करने में वह अवधि, जिसके दौरान किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा निर्धारण कार्यवाही रोक दी जाती है और वह समय, जो धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा यथानिर्देशित संपरीक्षा रिपोर्ट देने में लिया जाता है, अपवर्जित किया जाएगा ।

उक्त स्पष्टीकरण के प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है जिससे कि उक्त परिसीमा की अवधि की संगणना करने में, धारा 129 के परंतुक के अधीन संपूर्ण कार्यवाही या उसका कोई भाग फिर से आरंभ किए जाने या निर्धारिती को पुनः सुनवाई किए जाने का अवसर दिए जाने में व्यतीत समय अपवर्जित किया जाएगा । यह और प्रस्तावित है कि उस मामले में, जहां धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग के समक्ष किया गया आवेदन उसके द्वारा निरस्त किया जाता है या उसके द्वारा कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है वहां वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है जिसको आवेदन किया जाता है और उस दिन को समाप्त होती है जिसको धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आदेश उस धारा की उपधारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, भी अपवर्जित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण में प्रस्तावित परंतुक यह उपबंध करने के लिए है कि जहां पूर्वोक्त अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात् धारा 158खघ के खंड (ग) के अधीन कोई आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि साठ दिन से कम है तो ऐसी शेष अवधि का साठ दिन तक विस्तार किया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा की अवधि तदनुसार विस्तारित की गई समझी जाएगी।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

खंड 66 - किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए बनाए गए व्यक्तियों के निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम के अध्याय 15 में नई धारा 174क का अंतःस्थापन करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 174क यह उपबंध करने के लिए है कि जहां निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए बनाए गए या स्थापित या निगमित व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति के, किसी ऐसे निर्धारण वर्ष में, जिसमें ऐसा व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति, बनाया गया, स्थापित या निगमित किया गया था या ऐसे निर्धारण वर्ष के पश्चात् विघटित होने की संभावना है, वहां उस निर्धारण वर्ष के लिए, पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति से उसके विघटन की तारीख तक की अवधि के लिए, ऐसे व्यक्ति या निकाय या प्राधिकारी या विधिक व्यक्ति की कुल आय उस निर्धारण वर्ष में कर के लिए प्रभार्य होगी । प्रस्तावित धारा यह और उपबंध करती है कि धारा 174 की उपधारा (2) से उपधारा (6) तक के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे व्यक्ति के मामले में किन्हीं कार्यवाहियों को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होते हैं ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 67 - स्रोत पर कटौती और अग्रिम संदाय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 190 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक के खंड 4 के उपखंड (i) द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 10 में एक नए खंड (10गग) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो व्यष्टि है और ऐसी परिलब्धियों के रूप में आय प्राप्त कर रहा है जिसके लिए धारा 17 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत धनीय संदाय के रूप में उपबंध नहीं किया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कर्मचारी की ओर से उसके नियोजक द्वारा अपने (नियोजक) के विकल्प पर वास्तव में संदत्त ऐसी आय पर कर आय-कर से छूट प्राप्त होगा। तदनुसार, नियोजक द्वारा, अपने कर्मचारी की ओर से कर का संदाय करने का उपबंध करने के लिए धारा 190 में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 68 - वेतन से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 192 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में दो नई उपधाराएं (1क) और (1ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित उपधारा (1क) में यह उपबंध है कि परिलब्धियों के रूप में किसी आय का जो धारा 17 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट धनीय संदाय के रूप में उपबंधित नहीं की गई है। संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अपने विकल्प पर उस समय, जब ऐसा कर उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अन्यथा कटौती योग्य था, उससे कोई कटौती किए बिना ऐसी संपूर्ण आय या उसके भाग के संबंध में कर का संदाय कर सकेगा ।

प्रस्तावित उपधारा (1ख) में यह उपबंध है कि उपधारा (1क) के प्रयोजनों के लिए उपधारा (1क) में निर्दिष्ट आय सहित "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय पर कर वित्तीय वर्ष के लिए प्रवृत्त दरों के आधार पर संगणित आय-कर के औसत पर अवधारित किया जाएगा और इस प्रकार संदेय कर का अर्थ यह लगाया जाएगा कि मानो वह उपधारा (1)

के उपबंधों के अनुसार "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर कटौती योग्य कर हो और वह अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन होगा ।

उपखंड (ख) में यह भी प्रस्ताव है कि उपधारा (3) का संशोधन किया जाए जो पारिणामिक प्रकृति का है ।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे ।

खंड 69 - प्रतिभूतियों से ब्याज से स्रोत पर कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 193 का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय साधारण बीमा निगम को या साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों के आधार पर बनाई गई चार कंपनियों में से किसी एक को या किसी अन्य बीमाकर्ता को उनके स्वामित्व वाली या उनके पूर्ण फायदाग्राही हित वाली किन्हीं प्रतिभूतियों के संबंध में संदेय किसी ब्याज की बाबत उक्त धारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 70 - लाभांशों से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194 का सशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी ऐसी कंपनी के शेयरधारक की दशा में जो व्यष्टि है, जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है, स्रोत पर कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है यदि लाभांश पाने वाले के खाते में चेक द्वारा संदत्त किया जाता है और, यथास्थिति, लाभांश की रकम या लाभांश की रकमों का योग दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होता है । इसके अतिरिक्त उक्त धारा के दूसरे परंतुक में यह उपबंध है कि इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां धारा 115ण की उपधारा (1) में यथाअंतर्विष्ट लाभांश की घोषणा या वितरण या संदाय 1 जून, 1997 के पश्चात् किया जाता है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा के पहले और दूसरे परंतुकों को एक नए परंतुक से प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय साधारण बीमा निगम को या साधारण बीमा निगम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों के आधार पर बनाई गई चार कंपनियों में से किसी को या बीमाकर्ता को, उनके स्वामित्व वाली उनके पूर्ण फायदाग्राही हित वाले शेयरों की बाबत संदेय किन्हीं लाभांशों की बाबत इस धारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा।

खंड 71 - "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है, की जानी है ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमा से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 72 - ठेकेदारों और उपठेकेदारों को संदायों से कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ग का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती, व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जो ऐसे निवासी को, जो उपठेकेदार है, उपठेकेदार के खाते में किसी रकम को जमा या संदत्त करते समय, संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, की जानी है ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसी रकम ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमा से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 73 - कमीशन या दलाली से स्रोत पर आय-कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ज का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 194ज में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति द्वारा जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) या दलाली के रूप में आय पर पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय, दस प्रतिशत की दर से स्रोत पर आय-कर की कटौती, की जाएगी।

उपखंड (क) यह उपबंध करने के लिए है कि पूर्वोक्त धारा के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर की कटौती दस प्रतिशत के बजाय पांच प्रतिशत की दर से की जाएगी।

उपखंड (ख) उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा कमीशन या दलाली जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमा से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

खंड 74 - किराए से कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194झ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किराए के पाने वाले के खाते में जमा या संदाय करते समय स्रोत पर कर की कटौती, व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की जानी है ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें किराए के रूप में ऐसी आय जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमा से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 75 - वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ का संशोधन करने के लिए है ।

उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का पाने वाले के खाते में जमा या संदाय करते समय स्रोत पर कर की कटौती व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की जानी है ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा में एक नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें वृत्तिक सेवाओं और तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी फीस जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमा से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 76 - यूनिटों की बाबत आय से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ट का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की बाबत किसी निवासी को किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा स्रोत पर कर की कटौती यदि पाने वाली कंपनी है तो बीस प्रतिशत की दर से और अन्य पाने वालों की दशा में पंद्रह प्रतिशत की दर से किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त 1 जून, 1999 को या उसके पश्चात् जमा की गई या संदत्त किसी आय से उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी। उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (i) के उपबंधों के अनुसार ऐसे मामलों में, जहां ऐसी आय की रकम दस हजार रुपए से अधिक नहीं होती है वहां कटौती किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है ।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए उक्त धारा को एक नई धारा से प्रतिस्थापित करने के लिए है कि जहां कोई आय धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की बाबत किसी निवासी को संदेय है वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग

से उसके संदाय के समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

प्रस्तावित संशोधन के नीचे स्पष्टीकरण में "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" को परिभाषित किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि अधिशेष खाते में जमा किए गए ऐसे कर से स्रोत पर कर की कटौती करने की अपेक्षा होगी।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा।

खंड 77 - अन्य राशियों से स्रोत पर कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 195 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के विद्यमान उपबंधों के अधीन 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किसी देशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किन्हीं लाभांशों से स्रोत पर कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त परंतुक का लोप करने के लिए है और पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 78 - "करहीन" आय जो संदेय "शुद्ध आय" है से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 195क का संशोधन करने के लिए है।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन किसी आय पर प्रभार्य कर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है जिसके द्वारा आय संदेय है, वहां कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए ऐसी आय उतनी रकम तक बढ़ा दी जाएगी जो उसमें से कर की कटौती करने के पश्चात् संदेय शुद्ध रकम के बराबर होगी ।

विधेयक के खंड 68 द्वारा धारा 192 में दो नई उपधाराएं (1क) और (1ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, धारा 17 के खंड (2) में निर्दिष्ट परिलब्धि के रूप में आय के संबंध में (जिसके बारे में धनीय संदाय के रूप में उपबंध नहीं है) किसी कर्मचारी की आय से कर की कटौती किए बिना उसकी ओर से कर के संदाय के लिए नियोजक के विकल्प का उपबंध किया जा सके।

अतः परिलब्धि के रूप में आय पर कर के संदाय को अपवर्जित करने का प्रस्ताव है जिसका स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए आय की संगणना करने के लिए किसी कर्मचारी की ओर से नियोजक के विकल्प पर उसके (नियोजक) द्वारा किए गए धनीय संदायों के रूप में उपबंध नहीं किया गया है ।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 79 - अनिवासियों की यूनिटों की बाबत आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 196क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के परन्तुक के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की बाबत संदत्त किसी आय से, यदि ऐसी आय 1 जून, 1999 को या उसके पश्चात् जमा या संदत्त की जाती है, स्रोत पर कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा नही की गई है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त परंतुक का लोप करने के लिए है और पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा।

खंड 80 - किसी भारतीय कंपनी के विदेशी करेंसी बंधपत्रों या शेयरों से आय से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 196ग का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के परंतुक के विद्यमान उपबंधों के अधीन 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किसी देशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किन्हीं लाभांशों से स्रोत पर कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त परंतुक का लोप करने के लिए है ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 81 - प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की आय से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 196घ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के परंतुक के विद्यमान उपबंधों के अधीन 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किसी देशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किन्हीं लाभांशों से स्रोत पर कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त परंतुक का लोप करने के लिए है ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 82 - आय-कर अधिनियम की धारा 197क का संशोधन करने के लिए है जिसमें यह उपबंध किया गया है कि कुछ दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जानी है ।

धारा 197क के विद्यमान उपबंधों के अधीन स्रोत पर किसी कर की कटौती नहीं की जाती है यदि कोई ऐसा व्यष्टि, जो भारत का निवासी है, यह घोषणा करता है कि उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जानी है, उसकी प्राक्कलित कुल आय पर कर, शून्य होगा ।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां उक्त धारा की उपधारा (1) या उपधारा (1क) में निर्दिष्ट आय या ऐसी आय की कुल रकम, जो उस पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जानी है, जमा की गई या संदाय की गई है या जिसके जमा किए जाने या संदाय किए जाने की संभावना है, उस अधिकतम रकम से अधिक है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 83 - कटौती किया गया कर प्राप्त हुई आय है, से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 198 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी राशि, जो किसी निर्धारिती की आय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए धारा 192 की प्रस्तावित उपधारा (1क) के अधीन संदत्त कर है, प्राप्त हुई आय नहीं समझी जाएगी ।

यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 84 - कटौती किए गए कर की बाबत जमा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 199 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन निर्दिष्ट और केंद्रीय सरकार को संदत्त कोई राशि उस व्यक्ति की ओर से संदत्त कर समझी जाएगी जिसकी आय की बाबत कर का ऐसा संदाय किया गया है और उस निर्धारण वर्ष के लिए जिसके लिए ऐसी आय निर्धारणीय है, उक्त अधिनियम के अधीन निर्धारण में धारा 203 के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र को पेश करने पर इस प्रकार संदत्त राशि के लिए उसको मुजरा की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 85 - कर की कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 200 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट नियोजक है, कर का संदाय, विहित समय के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में या इस प्रकार करेगा, जैसा बोर्ड निर्दिष्ट करे।

यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 86 - कर की कटौती करने की या कर का संदाय करने की असफलता के परिणाम से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 201 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि आय-कर अधिनियम की धारा 200 के प्रति निर्देश अंतःस्थापित किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 87 - कटौती किए गए कर के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 203 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति को, जिसकी आय की बाबत कर का ऐसा संदाय कर दिया गया है, इस आशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि केंद्रीय सरकार को कर संदत्त कर दिया गया है और इस प्रकार संदत्त राशि, वह दर, जिस पर कर संदत्त किया गया है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करेगा।

यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 88 - आय-कर अधिनियम में कर-संग्रहण खाता संख्यांक से संबंधित एक नई धारा 206गक अंतःस्थापित करने के लिए है ।

धारा 206ग में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति जो कोई विक्रेता है, क्रेता द्वारा संदेय रकम के विकलन के समय क्रेता के लेखा में या उक्त क्रेता से ऐसी रकम की नकद या कोई चेक या ड्राफ्ट जारी करके अथवा किसी अन्य रीति से ऐसी रकम की प्राप्ति के समय उससे, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर राशि का संग्रहण करेगा ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर का संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, निर्धारण अधिकारी को कर-संग्रहण खाता संख्यांक आबंटित करने के लिए आवेदन करेगा। यह और प्रस्ताव है कि ऐसा कर खाता संख्यांक का उपधारा (3) के अधीन किसी राशि के संदाय के लिए सभी चालानों में, उपधारा (5) के अधीन दिए गए सभी प्रमाणपत्रों में, प्रस्तावित नई धारा 206ग की उपधारा (5क) या उपधारा (5ख) के अधीन परिदत्त सभी विवरणियों में, और ऐसे संव्यवहारों से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों में, जो विहित किए जाएं, हवाला दिया जाएगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 89 - निर्धारिती द्वारा स्वप्रेरणा से या समुचित निर्धारण अधिकारी के आदेश के अनुसरण में अग्रिम कर के संदाय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 210 का संशोधन करने के लिए है ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (3) में आने वाले "और उसने उपधारा (1) के अधीन अग्रिम कर का संदाय नहीं किया है" का लोप किया जाए, जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति से अग्रिम कर का संदाय करने के दायित्वाधीन होने की अपेक्षा कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि ऐसे व्यक्ति ने धारा 211 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीखों पर अग्रिम कर की विनिर्दिष्ट किस्तों का संदाय नहीं किया है ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 90 - प्रतिदायों पर ब्याज के संदाय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 244क का संशोधन करने के लिए है ।

उपधारा (1) में विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां किसी रकम का प्रतिदाय, आय-कर अधिनियम के अधीन निर्धारिती को शोध्य हो जाता है, वहां निर्धारिती उक्त रकम के अतिरिक्त उस पर उक्त धारा में विनिर्दिष्ट विलंब की कालावधि में अंतर्विष्ट प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए तीन बटा चार प्रतिशत की दर से उस पर साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार है ।

उक्त उपधारा के खंड (क) और खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि, यथास्थिति, ब्याज की दर को प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए तीन बटा चार प्रतिशत से कम करके दो बटा तीन प्रतिशत किया जा सके ।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे ।

खंड 91 - मामलों के समझौते के लिए आवेदन से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245ग का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 245ग की उपधारा (1ङ) के विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां कोई लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज या उसमें निर्दिष्ट आस्तियां धारा 132 के अधीन अभिगृहीत की जाती हैं, वहां निर्धारिती ऐसे अभिग्रहण की तारीख से एक सौ बीस दिन की समाप्ति से पहले धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन करने का हकदार नहीं होगा । उक्त धारा 132 की उपधारा (5) के उपबंध केवल 1 जुलाई, 1995 से पूर्व आरंभ की गई किसी तलाशी या की गई किसी अध्यपेक्षा के संबंध में लागू नहीं होते हैं।

अतः यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (1ङ) का लोप किया जाए । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 92 - धारा 245ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245घ का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 245घ के विद्यमान उपबंधों के अधीन समझौता आयोग धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन की प्राप्ति पर मामले पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त से रिपोर्ट मांगेगा। आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर और मामले की प्रकृति और परिस्थितियों अथवा उसमें अंतर्ग्रस्त अन्वेषण की जटिलता को ध्यान में रखते हुए समझौता आयोग या तो आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात करने या उसे नामंजूर करने का आदेश पारित कर सकता है । जहां किसी आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात किया जाता है वहां समझौता आयोग आयुक्त को ऐसी और जांच या अन्वेषण करने का निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे और परीक्षा के लिए आयुक्त से सुसंगत अभिलेख मांग सकेगा । सुसंगत अभिलेखों और आयुक्त की रिपोर्ट की परीक्षा करने के पश्चात् और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समझौता आयोग ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और उस धारा में निर्दिष्ट किसी अन्य विषय के संबंध में ठीक समझे ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग, जहां संभव हो, उस मास की समाप्ति से जिसमें धारा 245ग के अधीन ऐसा आवेदन किया जाता है, एक वर्ष की अवधि के भीतर या तो आवेदन को नामंजूर करने या आवेदन पर कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करने का आदेश पारित करेगा ।

यह और प्रस्ताव है कि पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (4क) अंतःस्थापित की जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग, जहां संभव हो, प्रत्येक आवेदन में उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसे आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात किया गया था, अंत से चार वर्ष की अवधि के भीतर, उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

खंड 93 - यदि निर्धारिती सहयोग नहीं देता है तो समझौता आयोग की मामले को निर्धारण अधिकारी को वापस भेजने की शक्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245जक का लोप करने के लिए है ।

धारा 245जक के विद्यमान उपबंधों के अधीन समझौता आयोग में निर्धारण अधिकारी को मामला वापस भेजने की शक्ति निहित की गई है, यदि उसकी राय में निर्धारिती ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग नहीं किया है और ऐसे मामलों में निर्धारण अधिकारी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मामले का इस प्रकार निपटारा करेगा मानो धारा 245ग के अधीन आवेदन नहीं किया गया हो।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का लोप किया जाए जिससे कि निर्धारण अधिकारी को मामला वापस भेजने की समझौता आयोग की शक्ति वापस ली जा सके ।

यह प्रस्ताव 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 94 - अपील अधिकरण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 252 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, केंद्रीय सरकार, सामान्यतः अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्य को उसका अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

उक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, अपील अधिकरण के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या एक उपाध्यक्ष को अपील अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा।

खंड 95 - कुछ निक्षेपों के प्रतिसंदाय के ढंग से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 269न के स्थान पर नई धारा रखने के लिए है ।

धारा 269न के विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि ऐसे मामलों में जहां निक्षेप की रकम बीस हजार रुपए से अधिक है, किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक की कोई शाखा और कोई अन्य कंपनी या सहकारी सोसाइटी या फर्म या अन्य व्यक्ति, उनको किए गए किसी निक्षेप का प्रतिसंदाय ऐसे व्यक्ति के, जिसने ऐसा निक्षेप किया है, नाम लिखे गए पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही करेगा अन्यथा नहीं । उक्त धारा की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यह परिभाषित है कि "निक्षेप" से धन का ऐसा कोई निक्षेप अभिप्रेत है जो सूचना के पश्चात् प्रतिसंदेय या किसी अवधि के पश्चात् प्रतिसंदेय है और कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में इसके अंतर्गत किसी भी प्रकृति का निक्षेप है ।

उक्त धारा केवल निक्षेपों को लागू होती है । यह प्रस्ताव है कि विद्यमान धारा 269न के स्थान पर एक नई धारा रखी जाए जिससे कि पूर्वोक्त धारा की परिधि का उधारों तक भी विस्तार किया जा सके ।

यह प्रस्ताव 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 96 - आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 269पत का अंतःस्थापन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि अध्याय के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां स्थावर संपत्ति का अंतरण एक निश्चित तारीख के पश्चात् होता है ।

अध्याय 20ग में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसे किसी व्यक्ति से, जो विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट रकमों से अधिक मूल्यों पर स्थावर संपत्ति का अंतरण करना चाहता है, अंतरण की आशयित तारीख से पूर्व विहित समय के भीतर समुचित प्राधिकारी के समक्ष, विहित प्ररूप में एक विवरण फाइल करने की अपेक्षा की जाती है, वहां समुचित प्राधिकारी उस मास के अंत से, जिसमें विवरण फाइल किया जाता है, तीन मास की

अवधि के भीतर प्रकट प्रतिफल की रकम के बराबर किसी रकम पर ऐसी स्थावर संपत्ति के केंद्रीय सरकार द्वारा क्रय के लिए लिखित में आदेश पारित कर सकेगा ।

एक नई धारा 269पत का अंतःस्थापन करने के लिए प्रस्ताव है जिससे कि अध्याय 20ग के उपबंध 1 जुलाई, 2002 को या उसके पश्चात् हुए स्थावर संपत्ति के किसी अंतरण के संबंध में लागू न हो सके ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 97 - विवरणियां न देना, सूचनाओं का अनुपालन न करना, आय का छिपाना, आदि से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 271 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, यदि आय-कर अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने उस उपधारा में निर्दिष्ट धाराओं के अधीन जारी की गई कतिपय सूचनाओं या निदेशों का अनुपालन नहीं किया है या उसकी गलत विशिष्टियां दी हैं तो वह उक्त उपधारा के, यथास्थिति, खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट रकम के बराबर शास्ति का उद्ग्रहण कर सकेगा ।

इस खंड के उपखंड (क), (घ) और (छ) में उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि किसी प्राधिकारी के रूप में आयुक्त के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जा सके, जो उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाही करके शास्ति उद्गृहीत कर सकेगा । आयुक्त के प्रति समान निर्देश को उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 7 में अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है, जो पारिणामिक प्रकृति के हैं ।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे ।

पूर्वोक्त उपधारा (1) के खंड (ii) के विद्यमान उपबंधों में धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी किए गए निर्देश का अनुपालन करने के लिए संदेय किसी कर के अतिरिक्त दस हजार रुपए की शास्ति का उपबंध है ।

इस खंड के उपखंड (ख) में उक्त खंड (ii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि निर्धारित कुल आय पर कर संदेय न होने पर ऊपर वर्णित सूचना या निदेश का अनुपालन न करने के लिए शास्ति उद्गृहीत की जा सकती है।

प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है ।

पूर्वोक्त उपधारा (1) के खंड (iii) के विद्यमान उपबंध में संदेय कर के अतिरिक्त ऐसी राशि की शास्ति के लिए उपबंध है, जो आय की विशिष्टियों को छिपाने के या उसकी बाबत गलत विशिष्टियां देने के कारण अपवंचन के लिए प्रयास किए जाने वाली या कर की रकम से कम नहीं होगी किंतु उसके तिगुने से अधिक नहीं होगी ।

इस खंड के उपखंड (ग) में यह स्पष्ट करने के लिए उक्त खंड (iii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि निर्धारित कुल आय पर कर के संदेय न होने पर भी उसमें निर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित की जा सकती है ।

प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है।

उपरोक्त उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यदि किसी व्यक्ति की, जो पहले निर्धारित नहीं किया गया है, किसी वर्ष के लिए कराधेय आय पाई जाती है और वह उस अवधि की समाप्ति तक, जिसके दौरान वह उसके लिए निर्धारणीय था, उस वर्ष के संबंध में विवरणी नहीं देता है और धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन विवरणी देने की अपेक्षा करने वाली सूचना उसे जारी नहीं की गई थी तो यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस वर्ष के लिए अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है ।

इस खंड के उपखंड (ङ) में उक्त स्पष्टीकरण 3 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि इसके उपबंधों को उन व्यक्तियों पर भी लागू किया जा सके जिन्हें पहले निर्धारित कर दिया गया है ।

उपरोक्त उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (क) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी मामले में जहां आय की वह रकम जिसके संबंध में विशिष्टियों को छिपाया गया है या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, निर्धारित कुल आय से अधिक है, "अपवंचन के प्रयास किए जाने वाली कर की रकम" पद से वह कर अभिप्रेत है जो उस आय पर, जिसके संबंध में विशिष्टियों को छिपाया गया है या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, प्रभार्य होता, यदि ऐसी आय कुल आय होती ।

इस खंड के उपखंड (च) में यह स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण 4 का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि ऐसे मामलों में जहां आय की रकम का, जिसकी बाबत विशिष्टियों को छिपाया गया है या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, प्रभाव विवरणी में घोषित हानि को कम करना या हानि को आय में संपरिवर्तित करना है वहां अपवंचन के लिए प्रयास किए जाने वाली कर की रकम वह कर होगा, जो उस आय की रकम पर प्रभार्य होता यदि ऐसी आय कुल आय होती ।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

उपखंड (ख), (ग) और (च) 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे।

खंड 98 - आय की विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 271च को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

धारा 271च के विद्यमान उपबंधों के अधीन यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार अपनी आय की विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से पूर्व ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पांच हजार रुपए का संदाय करने के लिए दायी होगा । धारा 271च के परंतुक में धारा 139 की उपधारा (1) के परंतुकों की अपेक्षानुसार निश्चित तारीख को या उससे पूर्व आय की विवरणी देने में असफलता के लिए पांच हजार रुपए की शास्ति का उपबंध है ।

यह प्रस्ताव है कि विद्यमान धारा 271च को प्रतिस्थापित किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन या उस उपधारा के परंतुकों की अपेक्षानुसार आय की विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से पूर्व ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पांच हजार रुपए का संदाय करेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 99 - प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने, जानकारी, विवरणियां या कथन देने, निरीक्षण अनुज्ञात करने, आदि में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 272क का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 272क की उपधारा (1) के खंड (घ) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, स्थायी खाता संख्यांक से संबंधित धारा 139क के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, दस हजार रुपए की शास्ति उद्ग्रहणीय है ।

उपखंड (क) धारा 272क की उपधारा (1) के खंड (घ) का लोप करने के लिए है। तथापि, विधेयक के खंड 100 द्वारा समान उपबंध अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

उपखंड (ख) उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ङ) को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति, आय की विवरणी देने में असफल रहता है, जिसकी धारा 139 की उपधारा (4) या उपधारा (4ग) के अधीन दिए जाने की उससे अपेक्षा की गई है या उसे उन धाराओं के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर और अपेक्षित रीति में नहीं देता है तो वह ऐसे व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए का शास्ति के रूप में संदाय करेगा।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 100 - धारा 139क के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए और कतिपय अन्य संबद्ध प्रयोजनों के लिए शास्ति का उपबंध करने के लिए आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 272ख अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि यदि कोई व्यक्ति, धारा 139क के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि वह, शास्ति के रूप में दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139क की उपधारा (5) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज में अपने स्थायी खाता संख्यांक का हवाला देने या उस धारा की उपधारा (5क) की अपेक्षानुसार ऐसे संख्यांक की संसूचना देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे संख्यांक का हवाला देता है या संसूचना देता है, जो मिथ्या है, और जिसके बारे में उसे जानकारी या विश्वास है कि वह मिथ्या है, या उसका यह विश्वास है कि वह सही नहीं है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में दस हजार रुपए का संदाय करेगा ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (3), उक्त धारा की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन शास्ति के अधिरोपण से पूर्व उस व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर दिए जाने का उपबंध करने के लिए है ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 101 - आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 272खखख अंतःस्थापित करने के लिए है जिसमें स्रोत पर कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को कर-संग्रहण खाता संख्यांक के आबंटन से संबंधित धारा 206गक के उपबंधों का अनुपालन करने में

असफलता के लिए शास्ति का उपबंध है । नई धारा दस हजार रुपए की राशि की शास्ति की नियत रकम के उद्ग्रहण का उपबंध करती है ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 102 - आय-कर अधिनियम की धारा 273ख का, जिसमें यह उपबंध है कि कुछ दशाओं में शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 273ख के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि, यथास्थिति, किसी व्यक्ति या निर्धारिती पर, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कतिपय उपबंधों में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि उक्त असफलता के लिए युक्तियुक्त हेतुक था ।

उपखंड (क) उक्त धारा का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए "धारा 272ख" का निर्देश भी किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

उपखंड (ख) में आय-कर अधिनियम की उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें "नई धारा 272खखख की उपधारा (1)" का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 103 - धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए दंड का उपबंध करने के लिए आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 275ख अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 275ख यह उपबंध करने के लिए है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) की अपेक्षानुसार किन्हीं लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी को, आवश्यक सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की गई है, ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 104 - आय-कर अधिनियम की धारा 279 का संशोधन करने के लिए है, जिसमें अभियोजन का कतिपय विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों की प्रेरणा से होने के लिए उपबंध है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन अभियोजन, आयुक्त या आयुक्त (अपील) या समुचित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से किया जा सकता है । तथापि, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक उस उपधारा के अधीन कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए ऐसे प्राधिकारी को ऐसे अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

विधेयक के खंड 103 द्वारा आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 275ख अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 132 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्हीं लेखा-बहियों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की गई है, ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

यह प्रस्ताव है कि धारा 279 की उपधारा (1) में, "धारा 275ख" का निर्देश अंतःस्थापित किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा में विनिर्दिष्ट किन्हीं प्राधिकारियों की पूर्व मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 275ख के अधीन किसी अपराध के लिए कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 105 - व्यतिक्रमी द्वारा शोध्य रकम की तुष्टि में संपत्ति का प्रतिग्रहण से संबंधित आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के नियम 68क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त नियम के उपनियम (3) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां उपनियम (1) के अधीन निर्धारण अधिकारी और व्यतिक्रमी के बीच करार पाई गई संपत्ति की कीमत व्यतिक्रमी द्वारा शोध्य रकम से अधिक हो जाती है वहां ऐसे आधिक्य को निर्धारण अधिकारी को संपत्ति के कब्जा परिदत्त करने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यतिक्रमी को संदत्त कर दिया जाएगा और जहां निर्धारण अधिकारी उपर्युक्त कालावधि के भीतर ऐसे आधिक्य का संदाय करने में असफल रहता है वहां, केंद्रीय सरकार से ऐसी रकम पर विलंब की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी को नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है ।

उपनियम (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उस उपनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा संदेय ब्याज की दर को नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम करके आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष किया जा सके ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।